[2022] 16 एस. सी. आर 693

अभय जैन

वी.

राजस्थान और राजस्थान के लिए न्यायपालिका का उच्च न्यायालय

एएनआर।

(2022 की सिविल अपील संख्या 2029)

15 मार्च, 2022

[उदय उमेश ललित और वाइन सरन, जे. जे.]

न्यायिक सेवा-राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010-आरआर। 45 और 46-संविधान के यू/Art.311 के तहत संरक्षण की पात्रता-अपीलार्थी द्वारा पारित दिनांक 27.04.2015 का जमानत आदेश-न्यायिक अधिकारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक मामले में एक आरोपी के पक्ष में उसके खिलाफ की गई कार्रवाई की उत्पत्ति हो गई-उसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई राजस्थान सिविल सेवा के आर. 16

(कदाचार और आर. आर. के उल्लंघन के कृत्यों के लिए वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958। 3 और राजस्थान सिविल सेवा (आचरण नियम), 1971 का 4-आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी ने जमानत आदेश को गलत या अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ पारित किया और

बाह्य विचार-अपीलार्थी ने प्रारंभिक प्रस्तुत किया

आरोपों पर आपत्तियां, जिन्हें जांच न्यायाधीश ने खारिज कर दिया-इस बीच, उच्च न्यायिक समिति का गठन किया गया

न्यायिक अधिकारियों की पुष्टि और निर्वहन का निर्णय लेने के लिए, अपीलार्थी के अभिलेखों के निरीक्षण पर, पुष्टि के लिए अपीलार्थी की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया-इसके बाद, एक पूर्ण न्यायालय की बैठक

जिसमे उच्च न्यायिक समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा के आधार पर अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया-अपीलार्थी को उसके खिलाफ जांच कार्यवाही लंबित होने के बावजूद इस प्रकार आरोपमुक्त कर दिया गया-अपीलार्थी के खिलाफ आरोपमुक्त करने का आदेश इस आधार पर पारित किया गया कि पूर्ण न्यायालय ने परिवीक्षा के दौरान अपीलार्थी की सेवाओं को असंतोषजनक पाया इसके बाद, अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई जांच के साथ-साथ अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद कर दिया गया-अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी गई

निर्वहन सरल नहीं था, जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा दावा किया गया था-अपीलार्थी को एसीआर का गैर-संचार मनमाना साबित हुआ था और चूंकि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के कथित मामले की जांच करने का विकल्प चुनता है

दुराचार, उनकी सेवा की समाप्ति सजा के रूप में थी

क्योंकि यह उसकी क्षमता पर कलंक लगाता है और इस प्रकार उसके भावी कार्यकाल को प्रभावित करता है-ऐसे मामले में, अपीलकर्ता संविधान के Art.311 (2) के संरक्षण का हकदार होगा इसके अलावा, वर्ष 2015 के लिए ACR में प्रतिकूल टिप्पणियां वह आधार नहीं हो सकती थीं जिसके आधार पर अपीलार्थी को सेवा से छुट्टी दी गई थी-अपीलार्थी को कभी भी सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया था और उसके प्रदर्शन के असंतोषजनक होने के बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी-महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी के खिलाफ कोई सत्यापन योग्य शिकायत दर्ज नहीं की गई थी जो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आधार बन सकती थी-अपीलार्थी दिनांकित 27.04.2015 का जमानत आदेश पारित करने में सक्षम था।

प्रत्यर्थी अपीलार्थी की ओर से किसी भी बाहरी विचार या गुप्त उद्देश्य की उपस्थिति को साबित करने में सक्षम नहीं था-इसके अलावा न तो 27.04.2015 दिनांकित जमानत आदेश को कभी भी अपीलकर्ता द्वारा चुनौती दी गई थी।

किसी भी न्यायालय के समक्ष बताएँ, और न ही उक्त जमानत आदेश के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई थी-यह वह मामला नहीं है जिसमें अपीलार्थी की ईमानदारी पर संदेह करने के लिए मजबूत आधार थे-भले ही अपीलार्थी के कार्य को लापरवाही माना जाता था, इसे "कदाचार" के रूप में नहीं माना जा सकता है-निर्वहन आदेश को तदनुसार रद्द कर दिया जाता है-इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने सेवा से मुक्त होने के बाद न्यायिक अधिकारी के रूप में काम नहीं किया था, उसे सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाना चाहिए, लेकिन केवल 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 311 .

सेवा कानून न्यायिक सेवा-प्रत्येक न्यायिक अधिकारी की संभावना है

अपनी सेवा के प्रारंभिक चरण में आदेश पारित करने में किसी न किसी प्रकार की गलती करना, जो एक परिपक्व न्यायिक अधिकारी नहीं करेगा-हालाँकि, यदि आदेश बिना किसी भ्रष्ट उद्देश्य के पारित किए जाते हैं, तो उन्हें समाप्त कर दिया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए और उसे उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए।

सेवा विधि न्यायिक सेवा-केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा एक गलत आदेश पारित किया गया है-न्यायिक अधिकारी या उसके द्वारा की गई कार्रवाई अलग हो सकती थी, यह वारंट नहीं करता है।

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करना।

सेवा कानून-न्यायिक सेवा-कदाचार के प्रति लापरवाही-तथ्यों पर, अपीलार्थी-न्यायिक अधिकारी, जमानत आदेश पारित करते समय, इस अर्थ में लापरवाही का दोषी हो सकता है कि उसने मामले की फाइल को सावधानीपूर्वक नहीं देखा और अभय जैन बनाम का ध्यान नहीं दिया।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय।

उच्च न्यायालय का आदेश जो उनकी फाइल में था-इस लापरवाही को दुराचार नहीं माना जा सकता है।

सेवा कानून-कदाचार-केवल संदेह "दुराचार" का गठन नहीं कर सकता है-कदाचार की कोई भी "संभावना" होनी चाहिए।

मौखिक या दस्तावेजी सामग्री के साथ समर्थित। सेवा कानून न्यायिक सेवा-राहत-उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण अपने आप में किसी अधिकारी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आक्षेप लगाने का आधार नहीं हो सकते हैं।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. प्रत्यर्थी का यह निवेदन कि अपीलार्थी का निर्वहन एक निर्वहन सरल था और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन नहीं था, स्वीकृति के योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की कि अपीलार्थी का आरोपमुक्त करने का आदेश एक सरल आदेश था और दंडात्मक प्रकृति का नहीं था। यह देखने के बावजूद कि आरोपमुक्त करने का आदेश अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई जांच के कारण पारित किया गया था, उच्च न्यायालय इस बारे में कोई तर्क देने में विफल रहा कि कैसे जमानत आदेश से संबंधित कदाचार का आरोप आरोपमुक्त करने के आदेश का आधार नहीं था। [पैरा 41] [719-ई-एफ]

2. उच्च न्यायपालिका के समक्ष रखी गई सामग्री

समिति [पाँच न्यायाधीशों से बनी और न्यायिक अधिकारियों की पुष्टि और निर्वहन तय करने के लिए गठित] जो अपीलार्थी के निर्वहन की सिफारिश, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी सिवाय इसके कि

27.04.2015 पर जमानत देने के संबंध में। [पैरा 43] [719-एच]

3. यह तर्क देने के लिए कि अपीलार्थी की 2015 की ए. सी. आर. में टिप्पणियाँ और टिप्पणियां ही वे आधार थे जिनके आधार पर उसे आरोपमुक्त किया गया था, गलत और गलत है। सबसे पहले, ए. सी. आर. के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इस ए. सी. आर. के शीर्ष पर ही एक टिप्पणी थी जिसमें लिखा था "सेवा से छुट्टी"। दूसरा, उच्च न्यायिक समिति ने 2015 ए. सी. आर. प्रस्तुत करने से पहले ही अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की सिफारिश कर दी थी। विशेष रूप से, वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. को अपीलार्थी द्वारा 20.01.2016 पर भरा और प्रस्तुत किया गया था, जबकि उच्च न्यायिक समिति ने पहले ही [2022] 16 एस. सी. आर. पर अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की सिफारिश की थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24.11.2015 स्वयं और निर्वहन का विवादित आदेश पारित किया गया था मान लीजिए, 27.01.2016 पर, 20.01.2016 पर पूर्ण न्यायालय की बैठक के अनुसरण में। इसके अलावा, हालांकि प्रतिवादी ने

प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी का सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा रोक दिया गया था, वह इस बात को उजागर करने में विफल रहा कि प्रमाणपत्र को रोकने का कारण यह था कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया गया था, न कि अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड के कारण। [पैरा 46] [720-जी-एच; 721-ए-सी]

4. इसके अलावा, ए. सी. आर. को उचित समय के भीतर अपीलार्थी को सूचित नहीं किया गया था। वर्तमान मामले में अपीलार्थी को एसीआर का गैर-संचार मनमाना है और इस तरह की मनमानेपन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है। [पैरा 47] [721-सी, जी-एच] 5. चूँकि सरकार, जाँच करने पर, सही या गलत निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अपीलार्थी परिवीक्षा पर रखे गए पद के लिए अनुपयुक्त था, यह स्पष्ट रूप से सजा के रूप में था और इसलिए, अपीलार्थी का अधिकार होगा -

संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का संरक्षण। इसके अलावा, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, समाप्ति आदेश के सार से पता चलता है कि निर्वहन के माध्यम से था सजा। इसलिए, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है कि क्या अपीलार्थी की पुष्टि न करने की कार्रवाई आर. जे. एस. नियमों के नियम 45 और 46 के अनुसार है। राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 45 और 46 के तहत आवश्यकता के संदर्भ में अपीलार्थी के असंतोषजनक प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी। [पारस 50 और 51] [726 सी-डी, जी]

7. प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के अपने कार्यकाल के प्रारंभिक चरण में आदेश पारित करने में किसी न किसी तरह की गलती करने की संभावना होती है। सेवा, जो एक परिपक्व न्यायिक अधिकारी नहीं करेगा।

हालांकि, अगर अभय जैन बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय।

आदेश बिना किसी भ्रष्ट उद्देश्य के पारित किए जाते हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी

एक न्यायिक अधिकारी के रूप में सुधार करने का अवसर। [पैरा 54] [728-एच; 729-ए-बी] 8. अपीलार्थी के खिलाफ दायर तीन शिकायतों को उनके सेवा कार्यकाल के दौरान याचिकाकर्ता को कभी सूचित नहीं किया गया था।

और बाद में बंद कर दिया गया था। अभिलेख स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई सत्यापन योग्य शिकायत दर्ज नहीं की गई थी जो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आधार बन सकती है।

[पैरा 55] [729-बी-सी]

9. दिनांक 27.04.2015 के जमानत आदेश के अनुदान के संबंध में,

अभिलेख से पता चलता है कि जब अभियुक्त के. के. जलिया की जमानत याचिका अपीलार्थी के न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी, तो राज्य और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था, भले ही उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया हो, न तो तर्क दिया गया और न ही उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत से इनकार किए जाने के बारे में तथ्य को रिकॉर्ड पर लाया गया। इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने 24.04.2015 दिनांकित दो पत्र प्रस्तुत किए और

27.04.2015 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि फाइल को मंजूरी के संबंध में निर्णय के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। निर्णय कब लिए जाने की संभावना है, इसके बारे में कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था। जाँच अधिकारी द्वारा दायर दिनांक 27.04.2015 के पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैठक 23.03.2015 पर सक्षम प्राधिकारी के साथ आयोजित की गई थी और फाइल को उनके निर्णय के लिए राज्य सरकार को भेजा गया था। इसलिए, यह स्पष्ट है कि सक्षम प्राधिकारी मामले का निर्णय नहीं ले सके और बिना किसी समय सीमा के इसे राज्य सरकार को भेज दिया था।

इसके अलावा, अभियुक्त के वकील ने अपीलार्थी को सूचित किया कि सह-अभियुक्त अलीमुद्दीन और इरफान को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई थी और यह अपीलार्थी के दिमाग के लिए एक प्रासंगिक विचार था। अलीमुद्दीन को जमानत दिए जाने का तथ्य अपीलार्थी के लिए और भी अधिक प्रासंगिक था क्योंकि वह मामले में अलीमुद्दीन की भूमिका से अवगत था और इस तथ्य से भी अवगत था कि अलीमुद्दीन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दिए जाने के बावजूद, उसे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। [पैरा 56] [730-ए-ई] [2022] 16 एस. सी. आर.

10. अपीलार्थी को के. के. जलिया को जमानत देने में गलती नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिनांक 1 का जमानत आदेश आधारित था।

अभियोजन की मंजूरी न देने और मामले में कोई प्रगति न होने पर उसी के संबंध को अभिलेख पर लाया जा रहा है। अपीलार्थी ने यह भी दर्ज किया कि राज्य को अनुदान के संबंध में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए

ऐसे मामलों में अभियोजन प्रतिबंध। इसके अलावा, यह तय कानून है कि अपीलार्थी, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत, उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति के बाद भी आरोपी को जमानत दे सकता था। [पैरा 57] [730-ई-एफ]

11. संक्षेप में, अपीलार्थी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि

टिप्पणी है कि वह जमानत आदेश को निर्देशित करते हुए पहली जमानत याचिका को खारिज करने के संदर्भ में आया था लेकिन अभियोजन मंजूरी में अनिश्चितता और देरी और हस्तक्षेप को देखते हुए अभियुक्त को जमानत देने में अपने विवेक का प्रयोग किया

उच्च न्यायालय द्वारा दो अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत प्रदान करना, तब भी जब सह-अभियुक्तों में से एक के लिए अभियोजन की मंजूरी दी गई थी। [पैरा 59] [731-एफ]

12. महत्वपूर्ण रूप से, 27.04.2015 दिनांकित जमानत देने के आदेश को राज्य द्वारा कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी।

इसके अलावा, जमानत देने के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ कभी कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी। [पैरा 61] [733-ए-बी]

13. अपीलार्थी के खिलाफ दायर आरोप अस्पष्ट प्रकृति के हैं और इसके बारे में कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। बाहरी विचारों के लिए जमानत आदेश पारित करने का आरोप /

पीछे का मकसद। इस संदर्भ में, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि उक्त बाहरी विचार या गुप्त उद्देश्य क्या था, लेकिन केवल संदेह के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई शिकायत या अन्य सामग्री मौजूद नहीं है जो उक्त आरोपों का आधार बन सकती है। [पैरा

62] [733 - बी-सी] 14. अभियुक्त के. के. जलिया को कारावास की सजा काटते समय किसी भी स्तर पर जमानत याचिका दायर करने का अधिकार था।

विचाराधीन कैदी। यह तथ्य कि दो अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था, अभियुक्त के. के. जलिया को जमानत देने का एक वैध कारण था। यदि उच्च न्यायालय को अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करनी थी।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय।

न्यायिक आदेश पर आधारित कार्यवाहियों में, अपीलार्थी की ईमानदारी पर संदेह करने के लिए मजबूत आधार होने चाहिए थे और आदेश स्वयं द्वेष, पूर्वाग्रह या अवैधता से प्रेरित होना चाहिए था। स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है। अपीलार्थी अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अभियुक्त को जमानत देने के लिए सक्षम और अपने अधिकार के भीतर था। [पैरा 64] [735-एफ-एच]

15. केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है या उसके द्वारा की गई कार्रवाई अलग हो सकती थी,

इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं है।

न्यायिक अधिकारी। [पैरा 66] [736-जी]

सजा के रूप में है क्योंकि यह उस पर कलंक लगाता है क्षमता और इस प्रकार उसके भविष्य के करियर को प्रभावित करता है।

ऐसे

मामले में, [2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार होगा। इसके अलावा, वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणियां वह आधार नहीं हो सकती थीं जिसके आधार पर अपीलार्थी को सेवा से मुक्त किया गया था। अपीलार्थी को कभी भी सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया और उसके प्रदर्शन के असंतोषजनक होने के बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई। महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी के खिलाफ कोई सत्यापन योग्य शिकायत दर्ज नहीं की गई थी जो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का आधार बन सकती थी। सभी प्रासंगिक अभिलेखों को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी दिनांकित 27.04.2015 का जमानत आदेश पारित करने में सक्षम था और

प्रत्यर्थी की ओर से किसी भी बाहरी विचार या गुप्त उद्देश्य की उपस्थिति को साबित करने में सक्षम नहीं है

अपीलार्थी। इसके अलावा न तो राज्य द्वारा किसी भी न्यायालय के समक्ष 27.04.2015 दिनांकित जमानत आदेश को कभी चुनौती दी गई थी, न ही उक्त जमानत आदेश के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां अपीलार्थी की ईमानदारी पर संदेह करने के लिए मजबूत आधार हैं। भले ही अपीलार्थी के कार्य को लापरवाही माना जाए, लेकिन इसे "दुराचार" के रूप में नहीं माना जा सकता है। [पैरा 71] [741-एफ-एच; 742-ए-सी]

18. छुट्टी का आदेश रद्द कर दिया जाता है। यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने न्यायिक अधिकारी के रूप में काम नहीं किया है

यह निर्देश दिया जाता है कि जबकि अपीलार्थी को सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता सहित सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाए, लेकिन वह केवल 50 प्रतिशत बैकवेज का भुगतान करने का हकदार होगा। [पैरा 72] [742-डी-ई]

निदेशक, आर्यभट्ट अवलोकन अनुसंधान संस्थान

विज्ञान बनाम देवेंद्र जोशी (2018) 15 एससीसी 73; राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेद प्रिया (निर्णय दिनांकित)

18-03-2020 सिविल अपील सं. में उच्चतम न्यायालय का।

8933-34 / 2017) और बिमला देवी बनाम बिहार राज्य (1994) 2 एससीसी 8- विशिष्ट।

सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ (2013) 9 एस. सी. सी. 566: [2013] 5 एस. सी. आर. 1004; मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) 1 एस. सी. सी. 248: [1978] 2 एससीआर 621; शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1974) 2 एससीसी 831: [1975] 1 एस. सी. आर. 814; बिहार राज्य बनाम गोपी किशोर प्रसाद एयर 1960 अभय जैन बनाम।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय।

एससी 689; ईश्वर चंद जैन बनाम पंजाब उच्च न्यायालय और हरियाणा (1988) 3 एससीसी 370: [1988] 1 पूरक। एससीआर

396 ; रमेश चंदर सिंह बनाम उच्च न्यायालय

इलाहाबाद (2007) 4 एससीसी 247: [2007] 3 एससीआर 198; पी. सी. जोशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2001) 6 एस. सी. सी. 491: [2001] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 369; कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य

(2019) 10 एससीसी 640: [2019] 12 एससीआर 861 और साधना

चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2020) 11 एस. सी. सी. 760-भरोसेमंद

पर।

प्रदीप कुमार बनाम भारत संघ (2012) 13 एस. सी. सी. 182:

[2012] 9 एससीआर 1141; राधे श्याम गुप्ता बनाम यू. पी. राज्य

एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1999) 2 एस. सी. सी. 21:

[1998] 3 पूरक। एस. सी. आर. 558 और पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी पीजीआई ऑफ मेडिकल साइंसेज

(2002) 1 एससीसी 520: [2001] 5 पूरक। एससीआर 41-संदर्भित

को।

मामला कानून संदर्भ

उस पर भरोसा करें

पैरा 21

आकाशवाणी 1960 एससी 689

प्रतिष्ठित

(2018) 15 एससीसी 73

पैरा 21

[1988] 1 पूरक। एससीआर 396

उस पर भरोसा करें

पैरा 22

[2012] 9 एससीआर 1141

संदर्भित किया गया है

पैरा 22

[1998] 3 पूरक। एससीआर 558

पैरा 30

संदर्भित किया गया है

[2001] 5 पूरक। एससीआर 41

संदर्भित किया गया है

पैरा 31

उस पर भरोसा करें

(2020) 11 एस. सी. सी. 760

पैरा 36

[2013] 5 एससीआर 1004

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[1978] 2 एससीआर 621

उस पर भरोसा करें

पैरा 47

[1975] 1 एससीआर 814

उस पर भरोसा करें

पैरा 49

(1994) 2 एससीसी 8

प्रतिष्ठित

पैरा 61

[2007] 3 एससीआर 198

उस पर भरोसा करें

पैरा 63

[2001] 1 पूरक। एससीआर 369

उस पर भरोसा करें

पैरा 65

[2019] 12 एससीआर 861

उस पर भरोसा करें

[2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2029

जयपुर में राजस्थान न्यायपीठ के लिए उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.10.2019 के निर्णय और आदेश से डी. बी. रिट याचिका सं. 6749 2016 से।

पी. एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता। , निखिल सिंघवी, सुश्री सुप्रिया जुनेजा, आदित्य सिंगला, सुश्री चेष्ठा जेटली, ओबीरूप घोष, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

विजय हंसारिया, डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , के. परमेश्वर, एम. वी. मुकुंद, संदीप कुमार झा, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

वाइन सारन, जे।

छुट्टी मंजूर की गई

2. अपीलार्थी, जो 2013 में एक न्यायिक अधिकारी के रूप में शामिल हुआ, वर्ष 2016 में सेवा से छुट्टी मिलने के बाद, 2013 में एक रिट याचिका दायर की।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जिसे उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.10.2019 के विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

उसी से आहत होकर, यह अपील इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से दायर की गई है।

3. वर्तमान मामले के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक संक्षिप्त तथ्य हैं:

कि जिला न्यायाधीश परीक्षा, 2013 के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना 19.07.2011 पर जारी की गई थी। से चयन किया जाना था

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 (संक्षेप में 'आर. जे. एस. नियम') के तहत अधिवक्ता कोटा के उम्मीदवारों के बीच। उक्त परीक्षा में, जिसका परिणाम 25.05.2013 पर घोषित किया गया था, अपीलार्थी पहले स्थान पर रहा। आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 (1) के साथ पठित आर. जे. एस. नियमों के नियम 43 के तहत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था और आर. जे. एस. नियमों के नियम 44 के अनुसार, अपीलार्थी को 2 साल की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होना था। दिनांक 16.07.2013 के एक आदेश द्वारा, अपीलार्थी को अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश संख्या 2, भरतपुर के रूप में तैनात किया गया था, जिस पद पर वह 18.07.2013 पर शामिल हुए थे। फिर 05.05.2014 पर, अपीलार्थी को श्रम और औद्योगिक न्यायाधिकरण, भरतपुर के पीठासीन अधिकारी के रूप में तैनात किया गया, जिस पद पर वह शामिल हुए।

06.05.2014 . इसके बाद, उन्हें 24.02.2015 के एक आदेश द्वारा, सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग (ACD), भरतपुर के रूप में नियुक्त किया गया, जिस पद पर वे 25.02.2015 पर शामिल हुए।

अभय जैन बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

4. सत्र न्यायाधीश, भ्रष्टाचार-रोधी विभाग, भरतपुर के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान ही अपीलार्थी द्वारा जमानत दी गई थी, जो अपीलार्थी के खिलाफ की गई कार्रवाई की उत्पत्ति है। 5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7,13 (1) (डी) और 13 (2) के तहत एक मामले में, तीन आरोपी नाम K.K.Jalia, अलीमुद्दीन

और इरफान को 29.12.2014 पर गिरफ्तार किया गया। उक्त के. के. जलिया, जो नगर निगम के अध्यक्ष थे, पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था; अलीमुद्दीन, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे, पर 1 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था; और इरफान एक गैर-अधिकारी भी थे, जिन पर मामले में शामिल होने का आरोप लगाया गया था। 08.01.2015 पर, अपीलार्थी के पूर्ववर्ती ने के. के. जलिया की जमानत खारिज कर दी और अलीमुद्दीन की जमानत भी 03.02.2015 पर खारिज कर दी गई। जाँच अधिकारी ने संबंधित विभाग को एक पत्र भेजकर उक्त दो अभियुक्तों, के. के. जलिया और अलीमुद्दीन के खिलाफ 18.02.2015 पर अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। 23.02.2015 पर तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया था। इसी स्तर पर, आई. डी. 1 पर, अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

6. फिर 04.03.2015 पर, अभियुक्त अलीमुद्दीन की दूसरी जमानत याचिका अपीलार्थी द्वारा खारिज कर दी गई। के. के. की जमानत याचिका।

सह-अभियुक्त इरफान (जो एक निजी व्यक्ति था) को 16.04.2015 पर जमानत दी गई और फिर 27.04.2015 पर अलीमुद्दीन को भी जमानत दी गई। राजस्थान उच्च न्यायालय।

7. 17.03.2015 पर दायर के. के. जलिया की दूसरी जमानत याचिका पर, अदालत ने मुख्य फाइल के साथ 20.03.2015 तय किया। फिर 18.03.2015 पर,

मुख्य फाइल पर के. के. जलिया के अभियोजन की मंजूरी दाखिल करने के लिए मामला 31.03.2015 के लिए तय किया गया था और तब तक जमानत मामले में रिमांड की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी। 20.03.2015 पर, जमानत मामले को 31.03.2015 के लिए स्थगित कर दिया गया था। 31.03.2015 पर, जमानत मामले को 13.04.2015 के लिए स्थगित कर दिया गया था और मुख्य फाइल में, 13.04.2015 को के. के. जलिया के खिलाफ अभियोजन मंजूरी दायर करने और संज्ञान पर बहस के लिए तय किया गया था। 13.04.2015 को, जिस तारीख को अपीलार्थी छुट्टी पर था, जमानत मामले को कार्यवाहक पीठासीन अधिकारी द्वारा 16.04.2015 के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया था।

और मुख्य फाइल पर यह नोट किया गया कि के. के. जलिया के खिलाफ कोई मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी और चूंकि अपीलकर्ता छुट्टी पर था, इसलिए के. के. जलिया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दायर करने के लिए मामला 27.04.2015 के लिए तय किया गया था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

16.04.2015 , अभियुक्त के. के. जलिया द्वारा जमानत का एक नया आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि उसे आई. डी. 1 पर गिरफ्तार किया गया था और आई. डी. 2 पर आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन आज तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत अभियोजन की कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, और आरोपी के. के. जलिया की हिरासत अवैध थी क्योंकि अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए हिरासत में नहीं रखा जा सकता था। उक्त तिथि पर अपीलार्थी ने अपने आदेश में कहा कि आई. डी. 2 से लेकर आज तक यानी आई. डी. 1 तक फाइल पर ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जो यह इंगित करे कि मंजूरी देने या अस्वीकार करने के संबंध में कोई प्रगति हुई है और तदनुसार, यह निर्देश दिया गया था कि मंजूरी देने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के प्रयासों के संबंध में ऐसी प्रगति रिपोर्ट आई. डी. 3 पर दाखिल की जाए, और अगली तारीख यानी आई. डी. 3 तक जमानत आवेदन का जवाब दाखिल करने के लिए भी समय दिया गया था। उस पर

17.04.2015 , मामला इरफान की जमानत के सत्यापन के संबंध में रखा गया था, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 16.04.2015 पर जमानत दी गई थी।

और तब तक, के. के. जलिया और अलीमुद्दीन की न्यायिक हिरासत और रिमांड बढ़ा दी गई थी। के. के. जलिया की जमानत याचिका में, जिसे 27.04.2015 के लिए भी तय किया गया था और अलग से लिया गया था, दो पत्र दायर किए गए थे। 24.04.2015 दिनांकित एक पत्र में उल्लेख किया गया है कि के. के. जलिया के अभियोजन की मंजूरी के लिए एक फाइल राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई थी, और दूसरे दिनांकित 27.04.2015 पत्र में, जो अपीलार्थी को संबोधित किया गया था, उल्लेख किया गया था कि अभियोजन की मंजूरी दी जानी चाहिए या नहीं, इस पर चर्चा करने के लिए एक बैठक 23.03.2015 पर आयोजित की गई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया गया था, और इस प्रकार, उस संबंध में निर्णय लेने के लिए फाइल को राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया था और वह अभी भी लंबित था। यह भी बताया गया कि दूसरे सह-अभियुक्त अलीमुद्दीन (पुलिस कांस्टेबल) को उसी तारीख यानी 27.04.2015 पर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। अपीलार्थी ने के. के. जलिया की जमानत के मामले की सुनवाई की और एक विस्तृत आदेश द्वारा उसे जमानत दे दी। 28.04.2015 पर, अलीमुद्दीन की जमानत के सत्यापन के मामले को मुख्य फाइल पर लिया गया था क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें 27.04.2015 पर जमानत दे दी थी। यह सजा

के. के. जलिया पर मुकदमा चलाने का आदेश भी 28.04.2015 पर मुख्य फाइल पर प्राप्त हुआ था।

9. अभिलेखसँ ई प्रतीत होइत अछि जे के. के. जलियाक मामलामे जमानत आदेश राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 27.04.2015 परहि अभय जैन बनाम पर माँगल गेल छल।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

और 02.05.2015 पर अपीलार्थी को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था।

10. राजस्थान सिविल सेवा (आचरण नियम), 1971 के नियम 3 और 4 के कदाचार और उल्लंघन के कृत्यों के लिए अपीलार्थी के खिलाफ दिनांक 1 के ज्ञापन के माध्यम से उक्त जांच शुरू की गई थी। अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी शामिल था कि उसे अभियुक्त के. के. जलिया को जमानत देने से बचना चाहिए था क्योंकि अपीलार्थी के पूर्ववर्तियों द्वारा उसकी पहले की जमानत याचिकाओं को अस्वीकार करने के बाद मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में कोई ठोस या महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ था। इसके अतिरिक्त, यह आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने पहले ही सह अभियुक्त/अलीमुद्दीन की दूसरी जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि मामला गंभीर प्रकृति का है और इसके बाद की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं आया है। उनकी पहली जमानत याचिका खारिज। यह भी आरोप लगाया गया था कि अपीलार्थी ने कुछ गलत या अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के साथ और बाहरी विचारों के लिए जमानत आदेश पारित किया था।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. अपीलार्थी ने उपरोक्त आरोपों पर अपनी प्रारंभिक आपत्तियाँ 29.09.2015 पर प्रस्तुत कीं, जिन्हें पूछताछ द्वारा खारिज कर दिया गया।

न्यायाधीश ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिए बिना 31.10.2015 दिनांकित आदेश दिया।

12. उच्च न्यायिक समिति, जिसमें पाँच न्यायाधीश शामिल थे और जिसका गठन पुष्टि और निर्वहन तय करने के लिए किया गया था

न्यायिक अधिकारियों ने, 24.11.2015 पर, अपीलार्थी के अभिलेखों के निरीक्षण पर, पुष्टि के लिए अपीलार्थी की सिफारिश नहीं करने का निर्णय लिया। 13. आई. डी. 1 पर, एक पूर्ण न्यायालय की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें उच्च न्यायिक समिति द्वारा प्रस्तुत सिफारिश के आधार पर, अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया था। विशेष रूप से, अपीलार्थी को उसके खिलाफ शुरू की गई जांच कार्यवाही के लंबित होने के बावजूद आरोपमुक्त कर दिया गया था। 27.01.2016 पर, छुट्टी का आदेश पारित किया गया था।

अपीलार्थी के विरुद्ध इस आधार पर कि पूर्ण न्यायालय ने परिवीक्षा के दौरान अपीलार्थी की सेवाओं को असंतोषजनक पाया। 14. इसके बाद, अपीलार्थी के खिलाफ जांच 02.05.2016 पर बंद कर दी गई। हालांकि, विभाग ने फिर से खोलने का अधिकार सुरक्षित रखा

15. आदेश dated27.01.2016 से व्यथित होकर, अपीलार्थी ने 18.05.2016 पर राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की निम्नलिखित राहतें हैं:

" (i) दिनांकित 27.01.2016 के आक्षेपित आदेश को रद्द करना जिसमें

उन्हें सेवा से बर्खास्त/हटा दिया गया था।

(iii) प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित दिनांक 05.05.2016 के सशर्त आदेश को रद्द करना, जिसमें फिर से जांच शुरू करने की मांग की गई हो। ((iv) परिणामी लाभों के साथ पुनर्स्थापना "

16. दिनांक 21.10.2019 के एक आदेश द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 27.01.2016 के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया। याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि:

" याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच के लंबित रहने के दौरान, पूर्ण न्यायालय की बैठक 20.1.2016 पर बुलाई गई थी और भाई जैन बनाम के लंबित होने के बावजूद याचिकाकर्ता को आरोपमुक्त करने का निर्णय लिया गया था।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

उच्च न्यायपालिका समिति की रिपोर्ट के आधार पर उनके खिलाफ जांच की जाती थी और इस समिति में एक सदस्य जांच न्यायाधीश होता था। याचिकाकर्ता ने पहले ही 17.7.2015 पर आवश्यक परिवीक्षा अवधि के दो साल पूरे कर लिए थे और नहीं

विस्तार आदेश या पुष्टि आदेश पारित किया गया था। इसलिए, आरोपमुक्त करने का आदेश, हालांकि सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके खिलाफ शुरू की गई जांच के कारण पारित किया गया था।

याचिकाकर्ता।

इस प्रकार, अभियुक्त को जमानत देते समय, याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि अभियुक्त को 28.12.2014 पर गिरफ्तार किया गया था और 23.2.2015 पर आरोप पत्र दायर किया गया था। हालांकि, अभियुक्त का अभियोजन मंजूरी आदेश प्राप्त नहीं हुआ था और अभियोजन मंजूरी आदेश प्राप्त होने तक मुकदमा शुरू नहीं हो सका था। जमानत आदेश के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि अभियुक्त के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि सह-अभियुक्त अलीमुद्दीन को इस अदालत द्वारा 27.04.2015 पर जमानत दी गई थी। भौतिक प्रश्न यह होगा कि क्या याचिकाकर्ता इस तथ्य से अवगत था कि आरोपी कमलेश कुमार जलिया द्वारा दायर जमानत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था।

सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस प्रकार, यह तथ्य कि अभियुक्त द्वारा जमानत याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी, याचिकाकर्ता के नोटिस में था जब उसने अभियुक्त को जमानत देने का आदेश दिनांक 27.04.2015 पारित किया था। यह उल्लेखनीय है कि चालान पहले ही अदालत में पेश किया जा चुका था जब आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा 11.3.2015 पर खारिज कर दिया गया था। उस समय भी अभियुक्त के अभियोजन की मंजूरी का आदेश प्राप्त नहीं हुआ था। इस प्रकार, इस अदालत द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज होने के लगभग 40 दिनों के बाद दूसरी जमानत याचिका पर आरोपी को जमानत देते समय याचिकाकर्ता द्वारा हस्तक्षेप करने की परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ।

उच्च न्यायालय ने आगे कहा किः

" यह सामग्री नहीं है कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की थी या नहीं। द. शिकायतकर्ता या राज्य ने आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने की जहमत नहीं उठाई होगी। हालाँकि, इस संबंध में याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई लिखित शिकायत नहीं थी

उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के समय पुष्टि के लिए आना चाहिए था यह निष्कर्ष निकालना कि यह याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई का पता लगाने में रुचि नहीं रखता था और इसकी सेवाओं के साथ वितरण का एक सरल आदेश पारित करने का विकल्प चुना

दावेदार। पूर्ण न्यायालय ने निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश की टिप्पणियों के साथ-साथ

2014-II की अवधि के संबंध में प्रशासनिक न्यायाधीश। उच्च न्यायालय अपने विवेक से इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि परिवीक्षाधीन याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके भाई जैन बनाम साबित होने की संभावना नहीं थी।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

अच्छा न्यायिक अधिकारी। विवादित आदेश एक सरल आदेश है और इसे दंडात्मक नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र जारी करना दिनांक 27.1.2016 के विवादित आदेश को पारित करने का आधार नहीं था। बल्कि, विवादित आदेश याचिकाकर्ता के समग्र सेवा रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया था।

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता का सेवा रिकॉर्ड

समिति के साथ-साथ उच्च न्यायालय के पास उपलब्ध होना केवल याचिकाकर्ता के सेवा रिकॉर्ड का आकलन करने का एक उद्देश्य था

यह तय करने के लिए कि क्या उसकी पुष्टि की जानी थी सेवा करते हैं। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है

निदेशक आर्यभट्ट अवलोकन अनुसंधान संस्थान

विज्ञान का मामला (ऊपर दिया गया है) कि ऐसे मामले में भी जहां एक नियमित विभागीय जांच शुरू की गई है और आरोप पत्र जारी किया गया है और जवाब प्राप्त किया गया है और जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, और यदि उस समय, जांच को हटा दिया जाता है और समाप्ति का एक साधारण नोटिस पारित किया जाता है, तो यह दंडात्मक नहीं होगा क्योंकि जांच अधिकारी ने सबूत दर्ज नहीं किया है और न ही आरोपों पर कोई निष्कर्ष दिया है। वर्तमान मामले में भी, हालांकि उनके खिलाफ आरोप तय किए गए थे

याचिकाकर्ता और जांच न्यायाधीश को नामित किया गया था लेकिन

जांच न्यायाधीश ने कोई सबूत दर्ज नहीं किया था और न ही याचिकाकर्ता के खिलाफ बनाए गए आरोपों पर कोई निष्कर्ष दिया था और इस प्रकार, जांच न्यायाधीश एक तार्किक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे थे। उच्च न्यायालय ने अपने विवेक में जांच के साथ आगे बढ़े बिना एक सरल आदेश पारित करके याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त करने के बारे में सोचा। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, हमारी राय है कि विद्वान वकील द्वारा दिए गए निर्णय

याचिकाकर्ता याचिकाकर्ता के मामले को आगे बढ़ाने में विफल रहता है।

17. उपर्युक्त उच्च न्यायालय के दिनांक 0.2019 के आदेश से व्यथित, यह अपील अपीलार्थी द्वारा विशेष के माध्यम से दायर की गई है

ई याचिका।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त आदेश का आधार अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई जाँच में निहित है। दिनांकित ज्ञापन 07.08.2015 के माध्यम से। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि निर्वहन/समाप्ति का आदेश प्रकृति में दंडात्मक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन है। उपरोक्त निवेदन को प्रमाणित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस पर प्रकाश डाला

अपीलार्थी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (संक्षिप्त "ए. सी. आर". के लिए) से टिप्पणियां और टिप्पणियां। 19. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी तर्क दिया है कि अपीलार्थी के खिलाफ कोई वैध शिकायत नहीं थी और इसके संदर्भ में

तीन शिकायतें जिन पर प्रत्यर्थी द्वारा भरोसा किया गया है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले, इन तीन शिकायतों को अपीलार्थी को उनके सेवा कार्यकाल के दौरान कभी भी सूचित नहीं किया गया था; दूसरा, कि 07.02.2014 और 21.04.2014 दिनांकित पहली दो शिकायतों के बाद भी, अपीलार्थी को श्रम न्यायालय में जिला न्यायाधीश के रूप में अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था; और

तीसरा, कि तीन में से दो शिकायतें 2014 से संबंधित हैं और उच्च न्यायिक समिति की बैठक से पहले दायर की गई थीं और बंद कर दी गई थीं और इसलिए, उच्च न्यायिक समिति के निर्णय का आधार नहीं हो सकता था।

20. श्री पटवालिया ने आगे संतोष व्यक्त किया है कि अपीलार्थी के अभिलेख और अपील की पूरी सिफारिश में कोई दुर्बलता नहीं पाई गई है। उच्च न्यायिक समिति दिनांकित 27.04.2015 के जमानत आदेश के पारित होने पर आधारित है। विद्वान वकील ने इस तथ्य पर भी प्रकाश डाला है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के जांच न्यायाधीश

अपीलार्थी उच्च न्यायिक समिति का भी हिस्सा था जिसे

न्यायिक अधिकारियों के निर्वहन/पुष्टि के संबंध में सिफारिश प्रदान करना। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया है कि उच्च न्यायालय विवादित आदेश में यह बताने के लिए कोई तर्क प्रदान करने में विफल रहा है कि कैसे जमानत आदेश से संबंधित कदाचार का आरोप समाप्ति के आदेश का आधार नहीं था।

21. रिलायंस को बिहार राज्य बनाम गोपी किशोर प्रसाद [ए. आई. आर. 1960 एस. सी.] मामले में इस अदालत की संविधान पीठ के फैसले पर रखा गया था।

689] यह तर्क देने के लिए कि एक बार कदाचार के आरोपों पर जांच शुरू की जाती है

और यदि संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधानों का पालन किए बिना सेवाओं को समाप्त कर दिया जाता है, तो उक्त समाप्ति अवैध है। इसके अतिरिक्त, अभय जैन बनाम।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

यह तर्क दिया गया था कि उच्च न्यायालय के विवादित आदेश में निदेशक, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल पर निर्भरता रखी गई थी विज्ञान बनाम देवेंद्र जोशी [(2018) 15 एस. सी. सी. 73] गलत धारणा है।

22. विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया

ईश्वर चंद जैन बनाम पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय [(1988) 3 एस. सी. सी. 370] में यह तर्क देने के लिए कि अपीलार्थी को सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया था और उसके बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी

प्रदर्शन असंतोषजनक होना। यह संतोषजनक था कि उक्त आवश्यकता को प्रदीप कुमार बनाम भारत संघ [(2012) 13 एस. सी. सी. 182] में और विस्तार से बताया गया है, जिसमें इस न्यायालय ने इसमें शामिल अधिकारी को परिणामी लाभों के साथ बहाल किया क्योंकि अधिकारी का निर्वहन शिकायतों पर आधारित था और अधिकारी को सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया था।

23. यह भी प्रस्तुत किया गया था कि अपीलार्थी अपने मामले में शीर्ष पर था।

राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में बैच और समग्र रूप से अच्छा रिकॉर्ड रहा है। इसके अलावा, यह संतोषजनक था कि अपीलार्थी आगे

विशेष न्यायाधीश, ए. सी. बी., भरतपुर के पद पर बने रहे।

जमानत आदेश पारित करने के लिए और यह कि न तो उक्त जमानत आदेश के खिलाफ कोई शिकायत की गई थी, न ही इसे उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी। 24. दिनांकित 27.04.2015 जमानत आदेश से संबंधित तथ्यों के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया है कि यदि अपीलार्थी

यदि कोई अवैध उद्देश्य होता, तो वह आरोपी के. के. जलिया को 16.04.2015 पर ही जमानत दे सकता था, जब आरोपी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी रिकॉर्ड में नहीं लाई गई थी। हालाँकि, अपीलार्थी ने मामले को 27.04.2015 के लिए सूचीबद्ध किया ताकि अभियुक्त के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी प्राप्त करने का अवसर दिया जा सके और राज्य द्वारा जवाब दायर किया जा सके। मंजूरी प्राप्त करने और जवाब दाखिल करने के लिए दिए गए अवसर के बावजूद, विद्वान वकील का तर्क है कि राज्य द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया था।

25. इसके अलावा, वरिष्ठ वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि स्व-विरोधाभासी आदेशों के संबंध में प्रतिवादी का तर्क मुख्य फाइल में 27.04.2015 पर पारित किया गया और जमानत का मामला मान्य नहीं है। यह तर्क दिया जाता है कि भले ही उक्त आदेशों को माना जाता है

विरोधाभासी, यह केवल यह दर्शाता है कि अपीलार्थी का बाहरी विचार के प्रति कोई द्वेष या उद्देश्य नहीं था, क्योंकि यदि अपीलार्थी ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि वह किसी भी कारण से अभियुक्त के. के. जलिया को जमानत दे देगा।

बाहरी विचार, तब अपीलार्थी ने पहले कभी भी एक विरोधाभासी आदेश पारित नहीं किया होगा।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

26. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह कहते हुए अपनी दलीलें समाप्त कीं कि अपीलार्थी के खिलाफ दायर आरोप हैं -

प्रकृति में अस्पष्ट है और बाहरी विचारों/गुप्त उद्देश्य के लिए जमानत आदेश पारित करने के उक्त आरोप के बारे में बिल्कुल कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है। 27. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विजय हंसारिया ने प्रस्तुत किया है कि जो मुद्दा विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि "क्या अपीलार्थी की पुष्टि न करने की कार्रवाई राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 के नियम 45 और 46 के अनुसार है?"

न्यायाधीश, पूर्ण न्यायालय का निर्णय और निर्वहन का आदेश, यह प्रदर्शित करेगा कि यह एक निर्वहन सरल था, क्योंकि यह न तो किसी एक अनुचित कार्य पर आधारित था और न ही किसी व्यक्तिगत कार्य ने उक्त निर्वहन की नींव। अतः यह संतोषजनक है कि वर्तमान मामले में निर्वहन आदेश को संलग्नक के रूप में व्याख्या करने में असमर्थ है।

अपीलार्थी के लिए कोई कलंक, विशेष रूप से इस तथ्य के प्रकाश में कि अपीलार्थी को किसी भी नागरिक परिणाम के साथ नहीं देखा गया है।

29. प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने आग्रह किया है

कि, जबकि यह सच है कि अपीलार्थी के खिलाफ दिनांकित 27.04.2015 जमानत आदेश के संबंध में अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी, उन्हें फिर से खोलने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए 05.05.2016 पर बंद कर दिया गया था। इस बीच, केवल एक सरल आदेश पारित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय ने पहले यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां भी

विभागीय जांच शुरू की गई थी, एक साधारण समाप्ति आदेश हो सकता है

नियोक्ता द्वारा अधिकार के रूप में पारित किया गया और यह दंडात्मक समाप्ति के बराबर नहीं होगा। यह और संतोषजनक था कि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि एक नियोक्ता को यह कहने का अधिकार है कि वह एक ऐसे कर्मचारी को जारी नहीं रखेगा जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, जिसकी सच्चाई का पता लगाने में नियोक्ता को कोई दिलचस्पी नहीं है। 30. रिलायंस को राधे श्याम गुप्ता बनाम मामले में इस अदालत के फैसले पर रखा गया था। उत्तर प्रदेश राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड [(1999) 2 एस. सी. सी. 21], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है किः

" यहां तक कि एक ऐसे मामले में भी जहां एक नियमित विभागीय जांच शुरू की जाती है, एक आरोप-ज्ञापन जारी किया जाता है, जवाब प्राप्त किया जाता है, और एक जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है-यदि उस समय, जांच भाई जैन बनाम है।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

हटा दिया जाता है और समाप्ति की एक साधारण सूचना पारित की जाती है, यह दंडात्मक नहीं होगा क्योंकि जांच अधिकारी ने नहीं किया है

साक्ष्य दर्ज किए गए और न ही आरोपों पर कोई निष्कर्ष दिए गए।

सुख राज बहादुर के मामले (ए. आई. आर. 1968) में यही माना जाता है।

एससी 1089] और बेंजामिन के मामले में (1967 1 एलएलजे 718 (एससी))। में।

बाद के मामले में विभागीय जांच रोक दी गई क्योंकि नियोक्ता के अपराध को स्थापित करने के बारे में निश्चित नहीं था

कर्मचारी। इन सभी मामलों में, के खिलाफ आरोप कर्मचारी ने केवल अपने आचरण पर एक बादल उठाया और जैसा कि इंगित किया गया था

593] , नियोक्ता को यह कहने का अधिकार था कि वह ऐसा नहीं करेगा एक कर्मचारी को जारी रखें जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए थे

जिसकी सच्चाई का पता लगाने में नियोक्ता को कोई दिलचस्पी नहीं थी। वास्तव में, नियोक्ता ने एक सरल आदेश पारित करने का विकल्प चुनकर

नियुक्ति की शर्तों द्वारा अनुमत समाप्ति या

नियमों द्वारा अनुमत एक लाभ प्रदान कर रहा था

कर्मचारी को समाप्त करने का एक सरल आदेश पारित करके ताकि

कर्मचारी किसी भी कलंक से पीड़ित नहीं होगा जो संलग्न होगा

पारित किया गया। उपरोक्त सभी उदाहरण हैं जहाँ आरोप हैं जिनका सच नहीं मिला है, और वे केवल उद्देश्य थे।

(जोर दिया गया)

31. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे इस अदालत पर भरोसा किया

पवनेंद्र नारायण वर्मा बनाम संजय गांधी पीजीआईशैक्षिक विज्ञान [(2002) 1 एस. सी. सी. 520] जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था किः

" न्यायिक रूप से विकसित परीक्षणों में से एक यह निर्धारित करने के लिए कि क्या

पदार्थ समाप्ति का आदेश दंडात्मक है यह देखना है कि क्या

समाप्ति से पहले (ए) एक पूर्ण पैमाने पर औपचारिक था

(ख) नैतिक अधमता से जुड़े आरोपों की जांच या

दुराचार जो (ग) अपराध की खोज में समाप्त हुआ। यदि सभी तीन कारक मौजूद हैं जिन्हें समाप्त माना गया है

समाप्ति आदेश के रूप की परवाह किए बिना दंडात्मक।

इसके विपरीत यदि तीन कारकों में से कोई एक अनुपस्थित है, तो समाप्ति को बरकरार रखा गया है। ”

(जोर दिया गया)

32. विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह भी संतोष व्यक्त किया कि

प्रदीप [2022] 16 एस. सी. आर. में इस अदालत के फैसले पर अपीलार्थी द्वारा सी. ई.

कुमार (उपरोक्त) गलत है, क्योंकि इस अदालत ने उस मामले में पाया था कि उसमें आरोपमुक्त करना लागू क़ानून के तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन था। इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि उस मामले में, इस तथ्य के बारे में अदालत के समक्ष कोई सामग्री नहीं रखी गई थी कि अधिकारी अन्यथा पद पर बने रहने के लिए अनुपयुक्त था।

33. श्री हंसारिया ने तर्क दिया है कि, उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, न्यायिक समीक्षा कार्यवाही में दृष्टिकोण नहीं है

क्या आरोपों के बारे में सच्चाई निर्णायक रूप से स्थापित की गई है, लेकिन क्या नियोक्ता को यह कहने का अधिकार था कि उसके खिलाफ एक परिवीक्षाधीन जिन पर आरोप लगाए गए हैं, उन्हें सरलता से बरी किया जाना चाहिए। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 1 के जमानत आदेश के अनुदान से संबंधित निर्णायक विश्लेषण में गए बिना, चार कारक जिन्हें एक नियोक्ता के लिए अप्रिय माना जाना चाहिए था, विशेष रूप से परिवीक्षा के तहत एक न्यायिक अधिकारी से नीचे उल्लेख किया गया हैः

दो परस्पर विरोधी आदेश 27.04.2015 पर पारित किए गए थे, एक में

ए।

मुख्य मामला और अन्य जमानत आवेदन में। जबकि अभियुक्त की हिरासत बढ़ा दी गई थी और राज्य को मुख्य मामले में अभियोजन की मंजूरी प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया था, उसी तारीख को उसे जमानत दे दी गई थी।

कि मंजूरी का आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बी।

परिवीक्षाधीन अधिकारी ने इसे अप्रासंगिक माना या

जमानत का आदेश देते समय इस पर गौर करने के लिए भी कोई महत्व नहीं है

उच्च न्यायालय द्वारा पारित दो आदेश। सबसे पहले, उसी दिन श्री अलीमुद्दीन को जमानत देने का आदेश, लेकिन श्री के. के. को जमानत देने के लिए इसे एक कारण के रूप में शामिल करने का फैसला किया।

जालिया। दूसरा, 11.03.2015 पर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति का आदेश, विशेष रूप से जब इस तरह की अस्वीकृति आरोप पत्र दाखिल करने के बाद थी। इसके अलावा, दूसरी जमानत याचिका उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किए जाने के 7 दिनों के भीतर दायर की गई थी और कोई नया हस्तक्षेप नहीं था।

परिस्थितियाँ।

अपीलार्थी द्वारा जमानत आवेदन को स्थगित कर दिया गया था

सी.

कम से कम 4 मौकों पर अभियुक्त के वकील का अनुरोध। यानी 17.03.2015,20.03.2015,31.03.2015 और 13.04.2015। हालाँकि, 27.04.2015 पर, अपीलार्थी ने राज्य द्वारा अभियोजन की मंजूरी के लिए एक दिन भी इंतजार नहीं किया।

सरकार। यह स्पष्ट रूप से अभय जैन बनाम की गई प्रस्तुति के विपरीत है।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

कि अभियोजन पक्ष ने बार-बार जवाब देने में समय लिया

जमानत का आवेदन।

अधिकारी का एक विरोधाभासी रुख प्रतीत होता है, उसके

डी।

उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.03.2015 आदेश की जानकारी के संबंध में दिनांकित 12.05.2015 का स्पष्टीकरण और दिनांकित 07.11.2015 का उनका जवाब, जिसमें अदालत ने जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था के. के. जलिया। निर्विवाद तथ्य यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति का उल्लेख दूसरे जमानत आवेदन के पहले पृष्ठ में किया गया था और अपीलार्थी द्वारा 27.04.2015 पर उनके द्वारा पारित जमानत आदेश में इस पर ध्यान नहीं दिया गया था।

34. श्री हंसारिया ने इस प्रकार तर्क दिया कि उपरोक्त चार कारक,

आर. जे. एस. नियम, 2010 के नियम 46 (1) के तहत परिवीक्षाधीन अधिकारी से अपेक्षित संतोषजनक प्रदर्शन देने में अपीलार्थी विफल रहा है या नहीं, इस पर विचार करते समय विशेष रूप से उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर विचार करने में विफलता को प्रासंगिक कारक माना जा सकता है।

35. रिलायंस को राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेद प्रिया (सिविल अपील सं.

8933-34 / 2017) यह आग्रह करने के लिए कि "केवल इसलिए कि प्रतिवादी नं। मेरे ए. सी. आर. एस. को लगातार "अच्छा" चिह्नित किया गया था, यह उसे सेवा में बने रहने का अधिकार देने का आधार नहीं हो सकता है। " .

36. यह भी संतोषजनक था कि अपीलार्थी द्वारा साधना चौधरी बनाम यू. पी. राज्य के मामले में इस अदालत के आदेश पर भरोसा किया गया था।

[(2020) 11 एस. सी. सी. 760] गलत है क्योंकि यह अनुशासनात्मक जांच करने के बाद एक न्यायिक अधिकारी को हटाने का मामला था और यह परिवीक्षाधीन से संबंधित मामला नहीं था। श्री हंसारिया ने प्रस्तुत किया कि कार्रवाई

अपीलार्थी को एक प्रामाणिक गलती के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, लेकिन इसे गंभीरता से लापरवाही माना जाना चाहिए। 37. विद्वान वरिष्ठ वकील ने संतोष व्यक्त किया कि उपरोक्त प्रस्तुतियों के अलावा, यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि अपीलार्थी की परिवीक्षा अवधि के दौरान, उच्च न्यायालय को तीन शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो अपीलार्थी के काम करने, व्यवहार और ईमानदारी के गंभीर आरोपों से संबंधित थीं, और भले ही इन शिकायतों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बंद करने का निर्देश दिया गया था, वे अभी भी प्रासंगिक थीं।

38. श्री हंसारियाकॉन ने अपनी दलीलों को यह कहते हुए समाप्त किया कि

अपीलार्थी इस सीमा तक किसी भी सकल अनुचितता या प्रक्रियात्मक अनियमितता को स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है जो इसके द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

अदालत।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्टया संदर्भ के लिए तैयार, संविधान के प्रासंगिक प्रावधान 1 संबंधित नियम नीचे दिए गए हैं:

भारत के संविधान की धारा 311 (2)

311. व्यक्तियों को बर्खास्त करना, पद से हटाना या पद में कमी करना।

संघ या राज्य के तहत नागरिक क्षमताओं में नियोजित

(2) उपरोक्त किसी भी व्यक्ति को बर्खास्त या पद से हटाया या पद से हटाया नहीं जाएगा, सिवाय उस जांच के जिसमें उसे उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो। उसे और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का एक उचित अवसर दिया गया; बशर्ते कि जहां वह है

इस तरह की जांच के बाद, उस पर कोई भी अधिरोपित करने का प्रस्ताव

ऐसा दण्ड, ऐसी जांच के दौरान प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर लगाया जा सकता है और

ऐसे व्यक्ति को कुछ देने की आवश्यकता नहीं होगी। दंड पर प्रतिनिधित्व करने का अवसर

प्रस्तावित है:

बशर्ते कि यह खंड लागू नहीं होगा

(क) जहाँ किसी व्यक्ति को आचरण के आधार पर बर्खास्त या हटा दिया जाता है या पद में कम किया जाता है जिसके कारण

आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि; या

(ख) जहाँ किसी व्यक्ति को बर्खास्त करने या हटाने या उसे पद से कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण से, उस प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए, ऐसी जांच करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है; या

((ग) जहां, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल का यह समाधान हो जाता है कि -

राज्य की सुरक्षा के लिए, इस तरह की जांच करना समीचीन नहीं है।

45 राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010

15. पुष्टि। - (1) के लिए नियुक्त एक परिवीक्षाधीन

सिविल जज के संवर्ग में आरविस की पुष्टि की जाएगी

न्यायालय द्वारा उसकी प्रारंभिक नियुक्ति के अंत में या

परिवीक्षा की अवधि, यदि न्यायालय संतुष्ट है कि

पुष्टि के लिए उपयुक्त है।

ऐ जैन वी. राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

(2) वरिष्ठ संवर्ग में सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति

सिविल जज को पदोन्नति द्वारा पर्याप्त रूप से नियुक्त किया जाएगा।

कैडर में न्यायालय द्वारा जब भी स्थायी हो

(3) जिला न्यायाधीश कैडर में सेवा के लिए सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त परिवीक्षाधीन को उसकी परिवीक्षा की प्रारंभिक या विस्तारित अवधि के अंत में अदालत द्वारा उसकी नियुक्ति में पुष्टि की जाएगी, यदि अदालत संतुष्ट है कि वह पुष्टि के लिए उपयुक्त है। (4) जिला संवर्ग में सेवा के लिए नियुक्त व्यक्ति

न्यायाधीश की पदोन्नति योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर या सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा स्थायी न्यायाधीशों की उपलब्धता पर न्यायालय द्वारा उनकी नियुक्ति में पुष्टि की जाएगी।

संवर्ग में रिक्तियां "।

राजस्थान न्यायिक सेवा नियम, 2010 की धारा 46

" 46. परिवीक्षा के दौरान असंतोषजनक प्रगति और

परिवीक्षा अवधि का विस्तार। - (1) यदि न्यायालय को किसी भी समय, परिवीक्षा अवधि के दौरान या अंत में यह प्रतीत होता है कि सेवा के किसी सदस्य ने इसका पर्याप्त उपयोग नहीं किया है

उपलब्ध कराए गए अवसरों या कि वह संतोषजनक प्रदर्शन देने में विफल रहा है, नियुक्ति प्राधिकरण, न्यायालय की सिफारिशों पर, उसे पद से मुक्त कर सकता है। सेवाः

एक वर्ष से अधिक की निर्दिष्ट अवधि के लिए सेवा के किसी भी सदस्य का। (2) परिवीक्षा के इस तरह के विस्तार को मंजूरी देने वाला आदेश उस सही तारीख को निर्दिष्ट करेगा जिस तक विस्तार दिया गया है और आगे यह निर्दिष्ट करेगा कि क्या विस्तारित अवधि आगे बढ़ेगी।

वेतनवृद्धि के उद्देश्य से गणना की जाए।

(3) यदि संतोषजनक सेवा देने में विफलता के कारण परिवीक्षा की अवधि बढ़ाई जाती है, तो ऐसा विस्तार होगा।

वेतनवृद्धि के लिए गणना नहीं की जाती है, जब तक कि विस्तार देने वाला प्राधिकरण अन्यथा निर्देश नहीं देता है।

(4) यदि किसी परिवीक्षाधीन को परिवीक्षा की प्रारंभिक या विस्तारित अवधि के दौरान या उसके अंत में सेवा से छुट्टी दे दी जाती है

उप-नियम (1) के तहत वह किसी भी दावे का हकदार नहीं होगा।

जो भी हो।

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों की धारा 3,

971

" 3. जनरल। - (1) हर सरकारी कर्मचारी को

समय

((i) पूर्ण सत्यनिष्ठा बनाए रखें; और ((ii) कर्तव्य और पद की गरिमा के प्रति समर्पण बनाए रखें।

(2) (i) पर्यवेक्षक पद धारण करने वाला प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सभी सरकारी कर्मचारियों की ईमानदारी और कर्तव्य के प्रति समर्पण सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाएंगे जो कुछ समय के लिए उनके नियंत्रण और अधिकार में हैं।

((ii) कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक कर्तव्यों के पालन में या प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा।

उस पर, उसके सर्वोत्तम निर्णय के अलावा अन्यथा कार्य करें, सिवाय इसके कि जब वह इस तरह के निर्देश के तहत कार्य कर रहा हो, तो निर्देश प्राप्त करें

लेखन, जहाँ भी व्यवहार्य हो, और जहाँ नहीं हो

लिखित रूप में निर्देश प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक, वह इसके तुरंत बाद निर्देश की लिखित पुष्टि प्राप्त करेगा

संभव है।

स्पष्टीकरण-उप-नियम (2) के खंड (ii) में किसी भी बात का गठन किसी सरकारी कर्मचारी को किसी वरिष्ठ अधिकारी या प्राधिकारी से निर्देश या अनुमोदन प्राप्त करके अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सशक्त बनाने के रूप में नहीं किया जाएगा, जब इस तरह के निर्देशों की योजना के तहत आवश्यकता नहीं होती है: शक्तियों और जिम्मेदारियों का वितरण।

राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियमों की धारा 4,

71

" 4. अनुचित और अशोभनीय आचरण। - कोई भी सरकार

सेवक जो

-

(i) अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान या नहीं, नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है; अभय जैन v.

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

((ii) सार्वजनिक रूप से अव्यवस्थित तरीके से अनुचित व्यवहार करता है।

सरकारी कर्मचारी के रूप में उसका पद; या

(iii) यह साबित होता है कि उसने एक अनाम या छद्म नाम भेजा है।

प्राधिकरण में किसी भी व्यक्ति को याचिका;

((iv) अनैतिक जीवन व्यतीत करता है। (v) कानूनी आदेश या वरिष्ठ अधिकारी के निर्देशों की अवज्ञा करता है।

या वरिष्ठ अधिकारी की अवज्ञा करता है;

(vi) पर्याप्त और उचित कारण के बिना, अपने जीवनसाथी, माता-पिता, नाबालिग या विकलांग बच्चे की उपेक्षा करता है या उसे बनाए रखने से इनकार करता है, जो खुद को बनाए रखने में असमर्थ है या उनमें से किसी की भी जिम्मेदार तरीके से देखभाल नहीं करता है; (vii) जनता को बिजली प्रदान करने वाले किसी भी विभाग/कंपनी को वित्तीय नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से मीटर या किसी अन्य उपकरण या बिजली/पानी की लाइन के साथ जानबूझकर हस्तक्षेप करना।

बिजली और पानी जैसी उपयोगिताएँ;

-अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। "

40. हमने दोनों पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है और रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है। 41. प्रत्यर्थी का यह निवेदन कि अपीलार्थी का निर्वहन एक निर्वहन सरल था और अनुच्छेद 311 (2) का उल्लंघन नहीं था

भारत का संविधान स्वीकार करने के योग्य नहीं है। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि अपीलार्थी का आरोपमुक्त करने का आदेश एक सरल आदेश था और दंडात्मक प्रकृति का नहीं था। यह देखने के बावजूद कि अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई जांच के कारण आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया गया था, उच्च न्यायालय इस बारे में कोई तर्क देने में विफल रहा कि कैसे जमानत आदेश से संबंधित कदाचार का आरोप आरोपमुक्त करने के आदेश का आधार नहीं था।

यह जांच करने के लिए समिति कि क्या निर्वहन इस पर आधारित था " अपीलार्थी का असंतोषजनक प्रदर्शन, या क्या यह अपीलार्थी के खिलाफ शुरू की गई जाँच पर आधारित था।

43. उच्च न्यायिक समिति के समक्ष रखी गई सामग्री, जिसने अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की सिफारिश की थी, स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि [2022] 16 एस. सी. आर. के संबंध को छोड़कर अपीलार्थी के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की गई थी।

27.04.2015 पर जमानत देने के लिए। उक्त सामग्री में द्विवार्षिक रिपोर्ट/विशेष रिपोर्ट और अपीलार्थी के ए. सी. आर. शामिल थे। जुलाई 2013-जनवरी 2014, जनवरी 2014-जुलाई 2014 और जुलाई 2014-जनवरी 2015 की अवधि के लिए द्विवार्षिक/विशेष रिपोर्ट, जो समिति के समक्ष रखी गई थी, यह स्पष्ट करती है कि अपीलार्थी का कार्य और आचरण

वह "अच्छा" था और उसकी सत्यनिष्ठा पर कभी संदेह नहीं किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2013 के लिए अपीलार्थी के ए. सी. आर. में टिप्पणी "बहुत अच्छी" है और उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी की सत्यनिष्ठा पर कभी संदेह नहीं था।

45. वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. पर प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत करने के लिए बहुत अधिक भरोसा किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अपीलार्थी की सत्यनिष्ठा "संदेह से मुक्त नहीं थी" और अपीलार्थी का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा रोक दिया गया था और प्रशासनिक न्यायाधीश ने 2015 ए. सी. आर. में यह टिप्पणी दर्ज की थी कि "अधिकारी की सत्यनिष्ठा है

संदिग्ध। अपने समग्र मूल्यांकन में, मैं अधिकारी को औसत आंकता हूँ।

46. हमारी राय में, यह तर्क देने के लिए कि टिप्पणियाँ और टिप्पणियाँ

यह 2015 ए. सी. आर. वह आधार था जिसके आधार पर अपीलार्थी को आरोपमुक्त किया गया था, गलत और गलत है। सबसे पहले, ए. सी. आर. के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि इस ए. सी. आर. के शीर्ष पर ही एक टिप्पणी थी जिसमें लिखा था "सेवा से छुट्टी"। दूसरा, उच्च न्यायिक समिति ने 2015 ए. सी. आर. प्रस्तुत करने से पहले ही अभय जैन बनाम को आरोपमुक्त करने की सिफारिश की थी।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

अपीलार्थी का। विशेष रूप से, वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. को अपीलार्थी द्वारा 20.01.2016 पर भरा और प्रस्तुत किया गया था, जबकि उच्च न्यायिक समिति ने पहले ही 24.11.2015 पर अपीलार्थी को आरोपमुक्त करने की सिफारिश की थी और आरोपमुक्त करने का आदेश पारित किया गया था।

20.01.2016 . इसके अतिरिक्त, यद्यपि प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था कि अपीलार्थी का सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा रोक दिया गया था, वह इस बात को उजागर करने में विफल रहा कि प्रमाण पत्र को रोके जाने का कारण यह था कि अपीलार्थी को आरोप पत्र दिया गया था, न कि अपीलार्थी के सेवा रिकॉर्ड के कारण।

47. इसके अलावा, यह विवादित नहीं है कि एसीआर नहीं थे

उचित समय के भीतर उसे सूचित किया। इस संदर्भ में, सुखदेव सिंह बनाम भारत संघ [(2013) 9 एस. सी. सी. 566] मामले में इस न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया है किः

" हमारी राय में, देव दत्त में लिया गया दृष्टिकोण [देव दत्त बनाम

भारत संघ] कि लोक सेवक के ए. सी. आर. में प्रत्येक प्रविष्टि

उचित अवधि के भीतर उसे सूचित किया जाना चाहिए।

यह कानूनी रूप से मजबूत है और तीन गुना उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है।

उसे अपने काम में सुधार करने और बेहतर परिणाम देने में मदद करता है। दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण, इसके बारे में जागरूक होने पर

एसीआर में प्रवेश, लोक सेवक असंतुष्ट महसूस कर सकता है

एक ही। प्रविष्टि का संचार उसे करने में सक्षम बनाता है

में प्रविष्ट टिप्पणियों के उन्नयन के लिए प्रतिनिधित्व

एसीआर। तीसरा, ए. सी. आर. में प्रत्येक प्रविष्टि का संचार लाता है

जनता से संबंधित टिप्पणियों को दर्ज करने में पारदर्शिता सेवक और प्रणाली अधिक अनुरूप हो जाती है

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत। हम, तदनुसार, मानते हैं कि प्रत्येक

एसीआर में प्रवेश-खराब, निष्पक्ष, औसत, अच्छा या बहुत अच्छा-होना चाहिए

उचित अवधि के भीतर उसे सूचित किया गया।

(जोर दिया गया)

इसलिए, उपरोक्त के आलोक में, ए. सी. आर. एस. का गैर-संचार

वर्तमान मामले में अपीलार्थी के लिए याचिका मनमाना है और जैसा कि इस अदालत द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ [(1978) 1 एस. सी. सी. 248] में अभिनिर्धारित किया गया है, इस तरह की मनमानेपन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

48. इसके अलावा, गोपी किशोर एड (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने निर्णय दिया है किः

" विशेष अनुमति द्वारा इस अपील में निर्धारण के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के प्रावधान बिहार अधीनस्थ सिविल सेवा में एक परिवीक्षाधीन पर लागू होते हैं, जिसे इस पद से छुट्टी दे दी गई है।

भ्रष्टाचार के लिए कुख्याति के आधार पर अनुपयुक्त और अपने सार्वजनिक कर्तव्यों के निर्वहन में असंतोषजनक कार्य।

इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि तत्काल मामले में, हालांकि प्रत्यर्थी केवल एक परिवीक्षाधीन था, उसे वास्तव में सेवा से छुट्टी दे दी गई थी क्योंकि सरकार ने जांच के बाद उसे सेवा से हटा दिया था।

सही या गलत निष्कर्ष तक कि वह परिवीक्षा पर रखे गए पद के लिए अनुपयुक्त था। यह स्पष्ट रूप से सजा के रूप में था और इसलिए, वह संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार था। इसकी ओर से तर्क दिया गया था

किया जा रहा है और उसके निर्वहन का मतलब कोई सजा नहीं हो सकता है उसे, क्योंकि उसे किसी पद का अधिकार नहीं था। यह सच है कि, यदि सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रत्यर्थी था

लोक सेवा में पद धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं

राज्य की ओर से, यह उनके कथित कदाचार की कोई जांच किए बिना उन्हें आरोपमुक्त कर सकता है। यदि सरकार उनकी ईमानदारी या क्षमता पर कोई संदेह किए बिना उनके खिलाफ उस सीधे तरीके से कार्रवाई करती है, तो उनके आरोपमुक्त होने से, कानूनी रूप से, सजा के रूप में सेवा से हटाने का प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसलिए उन्हें किसी भी अदालत में कोई शिकायत नहीं होगी। उस आसान मार्ग को अपनाने के बजाय, सरकार ने शुरुआत करने में से अधिक कठिन मार्ग को चुना

उसके खिलाफ कार्यवाही और उसे बेईमान के रूप में ब्रांडिंग करना

और एक अक्षम अधिकारी। उन परिस्थितियों में उन्हें संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण पर जोर देने का अधिकार था। वह संरक्षण उन्हें नहीं दिए जाने के कारण, उन्हें अदालत में उनका निवारण करने का अधिकार था। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रत्यर्थी गलत तरीके से BHAY JAIN v था।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

संविधान के अनुच्छेद 311 (2) द्वारा प्रदत्त संरक्षण से वंचित। इसलिए, सेवा से उनका निष्कासन संविधान की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं था।

(जोर दिया गया)

इस न्यायालय ने आगे यह भी कहा किः " हमारी राय में, इस मामले में जो विवाद उठाया गया है, वह है

ढींगरा के मामले (1958) 1 एल. एल. जे. 544. एस. सी. में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णय द्वारा पूरी तरह से कवर किया गया। उस मामले में निर्णय के लिए मुख्य प्रश्न यह था कि क्या अपीलार्थी ढींगरा को रेलवे के महाप्रबंधक के आदेश के परिणामस्वरूप सजा के रूप में रैंक में कम किया गया था। हालांकि, उस मामले में, इस अदालत ने फैसला सुनाया कि विवादित का वह प्रभाव नहीं था, इस न्यायालय ने रेलवे सेवा नियमों और संवैधानिक प्रावधानों के विशेष संदर्भ के साथ सेवा शर्तों के सभी निहितार्थों पर विस्तार से विचार किया।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 240 और संविधान के अनुच्छेद 311 में निहित प्रावधान। उस निर्णय में विस्तृत चर्चा में अस्थायी पदों, परिवीक्षाधीनों और पुष्टि किए गए अधिकारियों सहित सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार के सभी चरणों का संदर्भ है। जहाँ तक उन टिप्पणियों का किसी परिवीक्षाधीन लोक सेवक की सेवा की समाप्ति या निर्वहन पर असर पड़ता है, उनका सारांश इस प्रकार दिया जा सकता हैः

1. परिवीक्षा पर किसी पद पर नियुक्ति व्यक्ति को दी जाती है।

इस प्रकार नियुक्त पद पर कोई अधिकार नहीं है और उसकी सेवा हो सकती है

या उसे सेवा से हटा दें। 2. किसी व्यक्ति की नौकरी की समाप्ति

बिना किसी जांच के परिवीक्षा पर पद जो भी हो सकता है

कहा जाए कि वह किसी पद के किसी भी अधिकार से वंचित है और है, इसलिए कोई सजा नहीं।

3.लेकिन, अगर ऐसे व्यक्ति की सेवा समाप्त करने के बजाय

बिना किसी पूछताछ के, नियोक्ता एक आयोजित करने का विकल्प चुनता है

उसके कथित कदाचार, या अक्षमता की जांच, या

कुछ इसी तरह के कारण से, सेवा की समाप्ति एक तरह से है सजा, क्योंकि यह उसकी क्षमता [2022] 16 एस. सी. आर. पर कलंक लगाता है।

अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार संविधान।

4. अंतिम उल्लिखित मामले में, यदि परिवीक्षाधीन है

उन आधारों में से किसी एक पर उचित आधार के बिना निर्वहन

पूछताछ करें और उसे कोई उचित अवसर न मिले

अनुच्छेद 311 (2) के अर्थ के भीतर सेवा से निष्कासन इसलिए संविधान और वसीयत पर प्रहार किया जा सकता है।

नीचे।

5. लेकिन, यदि नियोक्ता केवल एक की सेवाओं को समाप्त कर देता है

जांच किए बिना और दिए बिना परिवीक्षाधीन

उसके खिलाफ कारण दिखाने का एक उचित मौका

सेवा से निष्कासन, परिवीक्षाधीन सिविल सेवक कर सकते हैं

कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, भले ही इसके पीछे असली मकसद हो

सेवा से निष्कासन यह हो सकता है कि उसका नियोक्ता

सोचा कि वह उस पद के लिए अनुपयुक्त है जो वह अस्थायी रूप से था

अपने दुराचार या अक्षमता के कारण, या

कुछ ऐसा ही कारण "।

(जोर दिया गया)

49. 7-शमशेर सिंह बनाम राज्य मामले में इस न्यायालय की न्यायाधीश पीठ

पंजाब [(1974) 2 एस. सी. सी. 831] ने माना हैः

" प्राधिकरण का कुछ मामलों में यह विचार हो सकता है कि

परिवीक्षाधीन के आचरण के परिणामस्वरूप बर्खास्तगी या निष्कासन हो सकता है।

एक पूछताछ में। लेकिन उन मामलों में प्राधिकरण नहीं हो सकता है

एक जांच और केवल परिवीक्षाधीन को एक के साथ निर्वहन कर सकता है

उसे अन्य क्षेत्रों में अच्छा करने का मौका देने का दृष्टिकोण

परिवीक्षा की समाप्ति के समय कलंक के बिना जीवन। अगर

दूसरी ओर परिवीक्षाधीन को पूछताछ का सामना करना पड़ता है। दुराचार या अक्षमता या भ्रष्टाचार के आरोपों पर, और

यदि उसकी सेवाओं को प्रावधानों का पालन किए बिना समाप्त कर दिया जाता है

अनुच्छेद 311 (2) के तहत वह संरक्षण का दावा कर सकता है।

भाई जैन बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

जाँच आयोजित करने का तथ्य हमेशा निर्णायक नहीं होता है। निर्णायक बात यह है कि क्या आदेश वास्तव में सजा के रूप में है।

(उड़ीसा राज्य बनाम देखें। राम नारायण दास [ए. आई. आर 1961 एस. सी. 177: (1961) 1 एससीआर 606: (1961) 1 एससीजे 209])। यदि कोई जांच होती है तो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर किया जाएगा।

यह पता लगाने के लिए कि क्या आदेश सार में बर्खास्तगी का है (मदन गोपाल बनाम देखें। पंजाब राज्य [ए. आई. आर 1963 एस. सी. 531: (1963) 3 एससीआर 716: (1963) 2 एससीजे 185])। आर. सी. लेसी बनाम बिहार राज्य [1962 की सिविल अपील सं. 590,23 अक्टूबर, 1963 को निर्णय लिया गया] यह अभिनिर्धारित किया गया था कि राज्य के आचरण की जांच के बाद प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया गया था। उस मामले की परिस्थितियों में परिवीक्षाधीन प्रारंभिक जांच की प्रकृति का था ताकि सरकार यह तय कर सके कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए या नहीं। एक परिवीक्षाधीन जिसकी सेवा की शर्तों में यह प्रावधान था कि इसे बिना किसी सूचना के और बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है, वह अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता था।

यदि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि आदेश का सार यह है कि समाप्ति के माध्यम से है

दंड तब एक परिवीक्षाधीन अनुच्छेद 311 को आकर्षित करने का हकदार है। क्रम का सार और रूप नहीं निर्णायक होगा (के. एच. फडनीस बनाम देखें। महाराष्ट्र राज्य [(1971) 1 एससीसी 790: 1971 पूरक एस. सी. आर. 118])।

इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी शमशेर सिंह को बर्खास्त करने का आदेश सजा का था। अधिकारियों को अपीलार्थी की उपयुक्तता का पता लगाना था। हालाँकि वे [2022] 16 एस. सी. आर. से संबंधित थे।

स्वयं उन मामलों के साथ जो वास्तव में तुच्छ थे। अपीलार्थी

प्रेम सागर के मामले में अभिलेखों को सही ढंग से सही किया गया। द.

अपीलार्थी ने अपने हाथ से ऐसा किया। समाप्ति का आदेश

यह नियम 9 का उल्लंघन है। अतः समाप्ति का आदेश है एक तरफ रख दें "।

(जोर दिया गया)

50. अपीलार्थी का वर्तमान मामला पूरी तरह से इसके अंतर्गत आता है -

इस न्यायालय के उपर्युक्त संविधान पीठ के निर्णय। तब से

सरकार, जाँच करने पर, सही या गलत निष्कर्ष पर पहुंची थी कि अपीलार्थी परिवीक्षा पर रखे गए पद के लिए अनुपयुक्त था, यह स्पष्ट रूप से सजा के रूप में था और इसलिए, अपीलार्थी -

संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार। इसके अलावा, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, समाप्ति आदेश के सार से पता चलता है कि निर्वहन सजा के रूप में था। इसलिए, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया गया है कि क्या अपीलार्थी की पुष्टि न करने की कार्रवाई आर. जे. एस. नियमों के नियम 45 और 46 के अनुसार है।

51. हम अपीलार्थी के प्रस्तुत करने में भी योग्यता पाते हैं कि

वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणियां वह आधार नहीं हो सकती थीं जिसके आधार पर अपीलार्थी को सेवा से मुक्त किया गया था।

इसके अतिरिक्त, यह ध्यान रखना उचित है कि विद्वान वकील

प्रत्यर्थी ने स्वयं प्रस्तुत किया है कि वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. आरोपमुक्त करने का आदेश पारित होने के बाद दर्ज किया गया था और प्रशासनिक न्यायाधीश की टिप्पणियां 08.06.2016 पर की गई थीं और ये जांच और अपीलार्थी के बाद के आरोपमुक्त होने पर आधारित हैं। इसके अलावा, वर्ष 2015 के लिए एसीआर के अवलोकन पर, यह पता चलता है कि दर्ज की गई टिप्पणियों के बावजूद, अपीलार्थी का समग्र प्रदर्शन था स्वयं निरीक्षण न्यायाधीश द्वारा "अच्छा" के रूप में मूल्यांकन किया गया। उक्त ए. आर. सी. के भाग-II में फाइलों को व्यवस्थित रूप से संभालने की अपीलार्थी की क्षमता पर टिप्पणी "अच्छी" और इस पर टिप्पणी "हां" भी शामिल है कि क्या

अपीलार्थी जनता और बार के साथ व्यवहार करने में निष्पक्ष और निष्पक्ष है। इसलिए, हमारी राय है कि अपीलार्थी के विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ योग्यता रखती हैं कि आर. जे. एस. नियम, 2010 के नियम 45 और 46 के तहत आवश्यकता के संदर्भ में अपीलार्थी के असंतोषजनक प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी।

52. ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी के अभिलेख में कोई कमजोरी नहीं है और उच्च न्यायिक समिति द्वारा निर्वहन की पूरी सिफारिश अभय जैन V.

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

यह दिनांकित 27.04.2015 के जमानत आदेश के पारित होने पर आधारित है। इसके अलावा, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही का जांच न्यायाधीश भी उच्च न्यायिक समिति का एक हिस्सा था जिसे आरोपमुक्त करने के संबंध में सिफारिशें प्रदान करनी थीं। न्यायिक अधिकारियों की पुष्टि।

53. महत्वपूर्ण बात यह है कि अपीलार्थी को कभी भी सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया और न ही उसके प्रदर्शन के बारे में उसे कोई सूचना दी गई।

असंतुष्ट होना। सुधार का अवसर प्रदान करने की इस आवश्यकता पर इस न्यायालय द्वारा कई अवसरों पर जोर दिया गया है और आर. जे. एस. नियम, 2010 के नियम 46 (1) के तहत भी इसकी परिकल्पना की गई है। विशेष रूप से, ईश्वर चंद जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि:

" ..... इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जहाँ तक अपीलार्थी की गोपनीय सूची पर वार्षिक प्रविष्टि का संबंध है, कोई नहीं था। उसके
विरुद्ध ऐसी सामग्री जो यह दिखा सके कि अपीलार्थी का कार्य और आचरण असंतोषजनक था। तथ्य और

पहले चर्चा की गई परिस्थितियाँ स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि

अपीलार्थी की सेवाओं को केवल सतर्कता न्यायाधीश द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर समाप्त कर दिया गया था, जिस पर हमने पहले विस्तार से चर्चा की है। कार्यसूची में जोड़ा गया नोट बैठक में केवल जांच रिपोर्ट का उल्लेख किया गया और इसमें किसी अन्य मामले का उल्लेख नहीं किया गया। सतर्कता न्यायाधीश अपीलार्थी के खिलाफ कोई सकारात्मक राय व्यक्त करने में विफल रहे, इसके बजाय उन्होंने कहा कि शिकायतों की आगे की जांच की आवश्यकता है। यदि उच्च न्यायालय अपीलार्थी के खिलाफ उन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई करना चाहता है जो सतर्कता न्यायाधीश द्वारा जांच का विषय थीं, तो उसे अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी चाहिए थी, तो

अपीलार्थी को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिल सकता है। हम पहले ही विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि शिकायतों में बताए गए तथ्यों और सतर्कता न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में न्यायिक अधिकारी के रूप में अपीलार्थी के काम में कोई दोष नहीं दिखाया गया है। परिवीक्षा पर न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायतों पर विचार करते समय उच्च न्यायालय को यह ध्यान में रखा गया कि जो घटनाएँ जाँच का विषय थीं, वे अपीलार्थी की सेवा के पहले वर्ष से संबंधित थीं। प्रत्येक न्यायिक अधिकारी के अपनी सेवा के प्रारंभिक चरण में आदेश पारित करने में किसी न किसी प्रकार की गलती करने की संभावना होती है जो एक परिपक्व न्यायिक अधिकारी नहीं करेगा।

हालाँकि, अगर

बिना किसी भ्रष्ट इरादे के आदेश पारित किए जाते हैं,

परिवीक्षा पर अधिकारी मार्गदर्शन में सुधार करने में सक्षम नहीं है, उसका सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।

14. संविधान के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण है

अधीनस्थ न्यायपालिका। उस नियंत्रण का प्रयोग करते समय यह है

न्यायिक मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक दायित्व के तहत

अधिकारी। एक ईमानदार सख्त न्यायिक अधिकारी के होने की संभावना है

मफस्सिल अदालतों में विरोधी। अगर शिकायतें हैं

न्यायिक आदेशों से संबंधित तुच्छ मामलों पर विचार किया जाता है जो न्यायिक पक्ष में उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जा सकता है

कोई भी न्यायिक अधिकारी सुरक्षित महसूस नहीं करेगा और यह होगा

उसके लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करना मुश्किल और स्वतंत्र तरीके से। एक स्वतंत्र और ईमानदार न्यायपालिका है

कानून के शासन के लिए एक अनिवार्य शर्त। यदि न्यायिक अधिकारी अधीन हैं

और अगर उच्च न्यायालय गुमनाम शिकायतों को आयोजित करने के लिए प्रोत्साहित करता है अधीनस्थ न्यायपालिका इस क्षेत्र में सक्षम नहीं होगी

स्वतंत्र और ईमानदार तरीके से न्याय का प्रशासन करें। यह है।

इसलिए यह जरूरी है कि उच्च न्यायालय भी कदम उठाए अपने ईमानदार अधिकारियों की रक्षा करने के लिए दुर्भावनापूर्ण या दुर्भावनापूर्ण अधिकारियों की उपेक्षा करना।

बेईमान वकीलों द्वारा की गई प्रेरित शिकायतें और

वादियों। तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल मामले में हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि संकल्प

अपीलार्थी के खिलाफ बार एसोसिएशन द्वारा पारित किया गया था

पूरी तरह से अनुचित और श्री द्वारा की गई शिकायतें। मेहलावत

और अन्य प्रेरित थे जो किसी भी श्रेय के योग्य नहीं थे।

यहां तक कि सतर्कता न्यायाधीश ने भी जांच करने के बाद रिकॉर्ड नहीं किया

कोई भी निष्कर्ष कि अपीलार्थी किसी भ्रष्ट उद्देश्य का दोषी था

या कि उसने न्यायिक रूप से कार्य नहीं किया था। सब कुछ जिसके खिलाफ कहा गया था

वह यह था कि उसने अनुदान देने में अनुचित तरीके से काम किया था

स्थगन। "

(जोर दिया गया)

54. हम मामले में निर्धारित अनुपात के साथ सहमत हैं

ए. आर. चंद जैन (ऊपर) कि प्रत्येक न्यायिक अधिकारी द्वारा किए जाने की संभावना है

के प्रारंभिक चरण में आदेश पारित करने में किसी न किसी प्रकार का

सेवा, जो एक परिपक्व न्यायिक अधिकारी नहीं करेगा।

हालांकि, अगर अभय जैन बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

आदेश बिना किसी भ्रष्ट उद्देश्य के पारित किए जाते हैं, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए-उच्च न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए और उन्हें उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी को उसके प्रदर्शन के असंतोषजनक होने के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी और इसलिए वह एक न्यायिक अधिकारी के रूप में सुधार करने के अवसर से वंचित था।

55. अपीलार्थी के खिलाफ दायर तीन शिकायतों के संदर्भ में, यह

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता को उनके सेवा कार्यकाल के दौरान कभी भी सूचित नहीं किया गया था और बाद में शिकायतों को बंद कर दिया गया था। इसके अलावा, तीन में से दो शिकायतों को उच्च न्यायिक समिति की बैठक से पहले बंद कर दिया गया था और इसलिए, समिति के निर्णय का आधार नहीं हो सकता था। इसके अतिरिक्त, जहाँ तक शिकायत दिनांक 20.10.2015 (सं. आर /

वी/जे. पी./पिन/118/2015) का संबंध है, यह न तो किसी हलफनामे द्वारा समर्थित है और न ही इसमें कोई पता दिया गया है और महत्वपूर्ण रूप से, अपीलार्थी के निर्वहन आदेश से पहले प्रतिवादी द्वारा भी बंद कर दिया गया था। इस संदर्भ में, स्थायी आदेश संख्या 03 का उल्लेख करना उचित है। /S.O./2015 दिनांकित

10.06.2015 जिसने निर्देश दिया किः

" राज्यों में अधीनस्थ न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ आरोप लगाने वाली शिकायत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए

और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि विधिवत शपथ पत्र और सत्यापन योग्य सामग्री के साथ

उसमें लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए

.....

... .

स्थानांतरण, पदोन्नति और अनिवार्य सहित मामले सेवानिवृत्ति "।

(जोर दिया गया)

वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कोई सत्यापन योग्य नहीं है

अपीलार्थी के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी जो आधार बन सकती है

उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही।

2] 16 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, राज्य और अभियोजन पक्ष द्वारा कोई जवाब दायर नहीं किया गया था, अपने जवाब दाखिल करने का अवसर दिए जाने के बावजूद, न तो तर्क दिया गया और न ही जमानत के बारे में तथ्य को रिकॉर्ड पर लाया गया। अभियुक्त को उच्च न्यायालय द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह स्पष्ट है कि जांच अधिकारी ने दिनांकित दो पत्र प्रस्तुत किए

24.04.2015 और 27.04.2015 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि फाइल को मंजूरी के संबंध में निर्णय के लिए राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया था। निर्णय कब लिए जाने की संभावना है, इसके बारे में कोई समय निर्दिष्ट नहीं किया गया था। जाँच अधिकारी द्वारा दायर दिनांकित 27.04.2015 पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बैठक सक्षम प्राधिकारी के साथ आयोजित की गई थी

इस मामले को तय करें और इसे बिना किसी समय सीमा के राज्य सरकार को भेज दिया था। इसके अलावा, अभियुक्त के वकील ने अपीलार्थी को सूचित किया कि सह-अभियुक्त अलीमुद्दीन और इरफान को उच्च न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई थी और यह अपीलार्थी के दिमाग के लिए एक प्रासंगिक विचार था। अलीमुद्दीन को जमानत दिए जाने का तथ्य अपीलार्थी के लिए और भी अधिक प्रासंगिक था क्योंकि वह मामले में अलीमुद्दीन की भूमिका से अवगत था और इस तथ्य से भी अवगत था कि अलीमुद्दीन के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दिए जाने के बावजूद, उसे उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी। 57. उपरोक्त के आलोक में, अपीलार्थी को के. के. जलिया को जमानत देने में गलती नहीं कहा जा सकता क्योंकि दिनांकित जमानत आदेश 27.04.2015 है।

यह अभियोजन की मंजूरी न दिए जाने पर आधारित था और इसके संबंध में कोई प्रगति दर्ज नहीं की गई थी। अपीलार्थी ने यह भी दर्ज किया कि राज्य को ऐसे मामलों में अभियोजन मंजूरी देने के संबंध में तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अलावा, यह तय कानून है कि अपीलार्थी, धारा 439 Cr.P.C के तहत, आरोपी को जमानत भी दे सकता था।

उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति के बाद।

58. इसके अतिरिक्त, हम प्रस्तुत करने में योग्यता नहीं पाते हैं

प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने कहा कि अपीलार्थी ने 11.03.2015 पर उच्च न्यायालय द्वारा जमानत की अस्वीकृति के आदेश पर गौर करना प्रासंगिक नहीं माना। रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि दिए जाने के बावजूद

अपना जवाब दाखिल करने के अवसर पर, अभियोजन पक्ष स्वयं या तो अपीलार्थी के समक्ष बहस करने या उच्च न्यायालय के आदेश को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहा। इसके अलावा, यहां तक कि प्रत्यर्थी के वरिष्ठ वकील का यह तर्क भी कि अपीलार्थी ने विरोधाभासी आदेश दिए थे, अभय जैन बनाम के बाद से सही नहीं है।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

मुख्य मामला उस दिन से पहले लिया गया था जब रिमांड बढ़ाने का मानक आदेश पारित किया गया था क्योंकि संज्ञान के बाद से कोई मंजूरी नहीं थी

नहीं ले जा सके। उक्त आदेश आवश्यक था, क्योंकि उस समय जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई थी और संभावना थी कि उस दिन जमानत पर सुनवाई हुई होगी या नहीं हुई होगी, या अस्वीकार भी किया गया होगा। अन्यथा भी, यदि उक्त आदेशों को माना जाता है

विरोधाभासी, यह केवल दर्शाता है, जैसा कि अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा सही तर्क दिया गया है, कि अपीलार्थी द्वारा प्रेरित नहीं था

बाहरी विचार और पहले से ही यह निर्णय नहीं लिया था कि वह आरोपी को जमानत देने जा रहा था, क्योंकि उस स्थिति में, उसने कभी भी इस तरह के विरोधाभासी आदेश पारित नहीं किए होंगे। 59. हम प्रत्यर्थी के विद्वान वकील के इस तर्क में योग्यता नहीं पाते हैं कि एक परस्पर विरोधी रुख प्रतीत होता है

अपीलार्थी, उच्च न्यायालय के दिनांकित आदेश की जानकारी के संबंध में

11.03.2015 उनके स्पष्टीकरण दिनांक 12.05.2015 और उनके उत्तर दिनांक 07.11.2015 में। विशेष रूप से, अपीलार्थी ने अपने दिनांक 2 के स्पष्टीकरण में कहा कि अपीलार्थी को दिनांक 4 के आदेश के बारे में केवल दिनांक 3 के जमानत आदेश को निर्देशित करते हुए पता चला और जबकि अपीलार्थी के दिनांक 1 के जवाब में, संदर्भ उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन के "दाखिल करने की तारीख" के संबंध में है जो अपीलार्थी के समक्ष दायर दूसरे जमानत आवेदन के ज्ञापन में नहीं दिया गया है। 07.11.2015 दिनांकित उत्तर में आगे विशेष रूप से कहा गया है कि 11.03.2015 दिनांकित "आदेश की सामग्री" अपीलार्थी की जानकारी में नहीं थी। इसलिए, ज्ञान के संबंध में कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता है

उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 11.03.2015in अपीलार्थी का स्पष्टीकरण दिनांक 12.05.2015 और उसका जवाब दिनांक 07.11.2015 है। सारतः, अपीलार्थी

ईमानदारी से अपनी टिप्पणी में स्वीकार किया कि उन्हें जमानत आदेश देते समय पहली जमानत याचिका खारिज करने का संदर्भ मिला था, लेकिन उन्होंने उच्च न्यायालय द्वारा अनिश्चितता और अभियोजन मंजूरी में देरी और दो अन्य सह-अभियुक्तों को जमानत देने में हस्तक्षेप को देखते हुए अभियुक्त को जमानत देने में अपने विवेक का प्रयोग किया, भले ही सह-अभियुक्तों में से एक के लिए अभियोजन मंजूरी दी गई हो।

60. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस पर भरोसा किया कि

राजस्थान उच्च न्यायालय बनाम वेद प्रिया (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय का निर्णय इस आशय का था कि केवल इसलिए कि एक अधिकारी के ए. सी. आर.

लगातार "अच्छा" चिह्नित, यह उसे सेवा में बने रहने का अधिकार देने का आधार नहीं हो सकता है। हालाँकि, हम मानते हैं कि प्रत्यर्थी द्वारा रखी गई यह निर्भरता गलत और गलत है। सबसे पहले, क्या था [2022] 16 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उक्त मामले में एन. डी. पी. एस. अधिनियम के मामलों में बिना अधिकार क्षेत्र के जमानत देने के कई कार्य किए गए थे। यह वर्तमान मामले की तरह एक ही मामले में जमानत देने का कार्य था।वर्तमान मामले के विपरीत, उस मामले में अधिकारी उचित अधिकार क्षेत्र के बिना पारित हो गया था। दूसरा, वर्तमान मामले के विपरीत, उस मामले में अधिकारी के खिलाफ पूछताछ शुरू की गई थी या लंबित थी। इस न्यायालय ने उपरोक्त में ही अभिनिर्धारित किया है किः

" यह सच है कि आदेश का रूप निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।

चाहे वह सरल प्रकृति का हो या दंडात्मक। का आदेश सेवा की समाप्ति, हालांकि हानिरहित रूप से कहा गया हो सकता है,

एक विशिष्ट मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को भी लक्षित किया जाना चाहिए

परिवीक्षा पर अधिकारी को दंडित करना और उस मामले में यह

निस्संदेह संविधान के अनुच्छेद 311 का उल्लंघन होगा।

संविधान। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया में न्यायालय ऐसा आदेश हमेशा यह पता लगाने के लिए पर्दा उठा सकता है कि क्या आदेश दंड के साथ परिवीक्षाधीन से मिलने के लिए था या नहीं।

परिणाम।

यदि सेवा की समाप्ति के क्रम की उत्पत्ति में निहित है दुराचार का विशिष्ट कार्य, चाहे वह संतोषजनक ही क्यों न हो

परिवीक्षा अवधि के दौरान कर्तव्यों का प्रदर्शन, न्यायालय

छिपे हुए कारण को उजागर करने के लिए अपनी पहुंच के भीतर होगा और मान लें कि समाप्ति का सरलीकरण आदेश, वास्तव में, इरादा रखता है

अभियोग स्थापित किए बिना परिवीक्षाधीन को दंडित करना एक पूछताछ के माध्यम से। हालांकि, जब नियोक्ता नहीं करता है

एक विशिष्ट उदाहरण चुनें और उसके आधार पर अपनी राय बनाएँ

परिवीक्षा अवधि के दौरान समग्र प्रदर्शन का, कार्रवाई का सिद्धांत प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, नहीं होगा

आकर्षित किया। "

(जोर दिया गया)

अतः प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता

अजस्तान उच्च न्यायालय बनाम वेद प्रिया (ऊपर) गलत है।

अभय जैन बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

61. महत्वपूर्ण रूप से, 27.04.2015 दिनांकित जमानत देने के आदेश को राज्य द्वारा कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई थी। इसके अलावा, नहीं। जमानत देने के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ कभी भी शिकायत दर्ज की गई थी। इसलिए, बिमला देवी बनाम बिहार राज्य [(1994) 2 एस. सी. सी. 8] पर प्रत्यर्थी के विद्वान वकील द्वारा रखी गई निर्भरता भी गलत और गलत है।

62. हम अपीलार्थी के विद्वान वकील के प्रस्तुत करने में भी योग्यता पाते हैं कि अपीलार्थी के खिलाफ दायर आरोप अस्पष्ट हैं।

प्रकृति और यह कि बाहरी विचारों के लिए जमानत आदेश पारित करने के उक्त आरोप के संबंध में बिल्कुल कोई विवरण प्रदान नहीं किया गया है /

पीछे का मकसद। इस संदर्भ में, इस बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है कि उक्त बाहरी विचार या गुप्त उद्देश्य क्या था, लेकिन केवल एक

संदेह के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। इसके अलावा, रिकॉर्ड से पता चलता है कि कोई शिकायत या अन्य सामग्री मौजूद नहीं है जो उक्त आरोपों का आधार बन सकती है। 63. रमेश चंदर सिंह बनाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय [(2007) 4 एस. सी. सी. 247] मामले में इस अदालत की 3-न्यायाधीशों की पीठ ने विशेष रूप से निर्णय दिया है।

वहः

" इस न्यायालय ने कई मौकों पर अस्वीकार किया है

उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का अभ्यास

अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारी केवल इसलिए कि उनके द्वारा पारित निर्णय/आदेश गलत हैं। अपीलीय और पुनरीक्षण न्यायालयों की स्थापना की गई है और उन्हें शक्तियां दी गई हैं

ऐसे आदेशों को दरकिनार करना। अपील को सुनने के बाद उच्च न्यायालय निचली अदालतों के गलत फैसलों को संशोधित या खारिज कर सकते हैं। न्यायिक आदेशों के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते समय उच्च न्यायालय को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए और

सावधानी बरतें।

.....

हालांकि, मामले की जांच करने वाले विद्वान न्यायाधीश अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जमानत अपीलार्थी द्वारा न्यायिक मानदंडों की पूरी तरह से अवहेलना करते हुए दी गई थी।

अपर्याप्त आधार और बाहरी विचार पर आधारित [2022] 16 एस. सी. आर.

अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ और आरोप साबित हो गए थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जांच करने वाले न्यायाधीश ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया है कि इस मामले में अप्रत्यक्ष उद्देश्य या बाहरी विचार क्या था।

प्रत्यर्थी के वकील ने बताया कि पिछले तीन मौकों पर उसी आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था और क्योंकि मामले में कोई बदलाव नहीं हुआ था।

परिस्थितियों में, अपीलार्थी-अधिकारी के पास नहीं होना चाहिए

चौथी जमानत याचिका पर भी विचार किया गया। बेशक, पिछली जमानत याचिकाओं में, आरोपी द्वारा उठाई गई कई दलीलों पर विचार किया गया था, लेकिन एक आरोपी को किसी भी स्तर पर जमानत याचिका दायर करने का अधिकार है।

विचाराधीन कैदी के रूप में कारावास। यह तथ्य कि दो अन्य अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया था, अभियुक्त राम पाल को जमानत देने का एक वैध कारण था। इसके अलावा, आरोपी राम पाल एक साल से जेल में था।

विचाराधीन कैदी और आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका था। हमारी राय में, अगर इन परिस्थितियों में आरोपी राम पाल को जमानत देने से इनकार कर दिया जाता, तो यह न्याय का उपहास होता, खासकर जब सभी प्रासंगिक कारकों पर गौर किया जाता।

जमानत याचिका पर विचार करते हुए आरोपी राम पाल को जमानत देने के पक्ष में भारी भार डाला गया था।

हम यह समझने में विफल हैं कि उच्च न्यायालय केवल शिकायत के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने के निर्णय पर कैसे पहुंचा, जिसकी सामग्री को उच्च न्यायालय द्वारा सही नहीं माना गया था। यदि उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी थी, तो भाई जैन बनाम।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

अधिकारी पर संदेह करने के लिए मजबूत आधार होना चाहिए था

विश्वास और आदेश स्वयं द्वेष, पूर्वाग्रह या अवैधता से प्रेरित होना चाहिए था। अपीलार्थी-अधिकारी अपने न्यायिक कार्यों के निर्वहन में अभियुक्त को जमानत देने के अपने अधिकार के भीतर था। टाडा अधिनियम या एन. डी. पी. एस. अधिनियम में जमानत देने के प्रावधानों के विपरीत, इस मामले में आरोपी को जमानत देने में कोई वैधानिक बाधा नहीं थी। सत्र न्यायाधीश अनुदान देने के लिए सक्षम था।

जमानत और यदि उनके खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की जाती है ऐसा आदेश पारित करने के लिए अधिकारी, यह अधीनस्थ न्यायपालिका के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और कोई भी अधिकारी स्वतंत्र रूप से इस शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होगा।

यह तथ्य कि यह दिन दहाड़े हत्या का मामला था जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि आरोपी जमानत के हकदार नहीं थे। जमानत याचिका पर आदेश पारित करना

विवेकाधिकार का मामला है जिसका प्रयोग न्यायिक अधिकारी द्वारा किया जाता है

एक वर्ष से अधिक। अगर, तो निरीक्षण करने वाले न्यायाधीश ने पाया था आदेश में कुछ भी गलत होने पर, उसे अधिकारी को बुलाना चाहिए था और उसे भविष्य में सावधान रहने की सलाह देनी चाहिए थी।

64. इसलिए, उपरोक्त न्यायिक घोषणा के आलोक में, हम मानते हैं कि उन्होंने आरोपी के. के. जलिया को किसी भी समय जमानत याचिका दायर करने का अधिकार था।जब एक विचाराधीन कैदी के रूप में कारावास से गुजर रहे हों। अभियुक्त के. के. जलिया को जमानत देने के वैध कारण के रूप में दो अन्य सह-अभियुक्तों को पहले ही जमानत पर बढ़ा दिया गया था। यदि उच्च न्यायालय को न्यायिक आदेश के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करनी थी, तो अपीलार्थी की ईमानदारी पर संदेह करने के लिए मजबूत आधार होना चाहिए था जो वह स्वयं आदेश देता है कि द्वेष, पूर्वाग्रह या अवैधता से प्रेरित होना चाहिए था।

स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में ऐसा नहीं है।

16 एस. सी. आर. था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आरोपमुक्त किए जाने पर अभियुक्त को जमानत देने के उसके अधिकार के भीतर

न्यायिक कार्य।

65. पी. सी. जोशी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(2001) 6 एस. सी. सी. 491] मामले में यह अदालतः

" यह कि तथ्यों के दिए गए सेट पर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की संभावना थी, एक न्यायिक अधिकारी को आरोपित करने का कोई आधार नहीं है।

एक दृष्टिकोण रखने के लिए और वह भी कथित कदाचार के लिए

केवल यही कारण है। जाँच अधिकारी को कोई अन्य सामग्री नहीं मिली है, जो उसकी प्रतिष्ठा या सत्यनिष्ठा या सद्भावना या कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाती हो या कि वह किसी भ्रष्ट उद्देश्य से प्रेरित था। सबसे अच्छा, वह कह सकता है कि लिया गया दृष्टिकोण अपीलार्थी द्वारा उचित या सही नहीं है और विशेषता नहीं है

उसके लिए कोई भी उद्देश्य जो बाहरी विचार के लिए है कि उसने उस तरीके से काम किया था। अगर हर मामले में जहाँ एक आदेश है

अधीनस्थ न्यायालय का अनुशासन दोषपूर्ण पाया जाता है कार्रवाई शुरू की जानी थी, अधीनस्थ का विश्वास

न्यायपालिका हिल जाएगी और अधिकारी निरंतर रहेंगे।

निर्णय लिखने का डर ताकि अनुशासन का सामना न करना पड़े

जांच और इस प्रकार न्यायिक अधिकारी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते हैं

या निडरता से। वास्तव में के. के. धवन मामले [(1993) 2 एस. सी. सी. 56 में सावधानी के शब्द दिए गए हैंः 1993 एससीसी (एल एंड एस) 325: (1993) 24 ए. टी. सी. 1 और ए. एन. सक्सेना मामला [(1992) 3 एस. सी. सी. 124: 1992 एससीसी (एल एंड एस) 861: (1992) 21 ए. टी. सी. 670] कि केवल

क्योंकि आदेश गलत है या की गई कार्रवाई हो सकती है

अलग होना अनुशासन की शुरुआत की गारंटी नहीं देता है

न्यायिक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही। इसके बावजूद

सावधान, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का विकल्प चुना है

मामला "।

66. हम उपरोक्त मामले में इस न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हैं क्योंकि अपीलार्थी द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है या उसके द्वारा लिया गया निर्णय अलग हो सकता है, यह न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गारंटी नहीं देता है।

67. कृष्ण प्रसाद वर्मा बनाम बिहार राज्य मामले में यह अदालत

(9) 10 एस. सी. सी. 640] ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए उसमें अधिकारी के खिलाफ आरोपों को खारिज कर दिया और उसे मंजूरी दे दी।

समतुल्य लाभ यह मानते हुए किः

भाई जैन बनाम। राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

" इसमें कोई संदेह नहीं है कि भ्रष्टाचार के लिए शून्य सहिष्णुता होनी चाहिए और यदि भ्रष्टाचार, कदाचार या न्यायिक अधिकारी के अनुचित कार्यों के आरोप हैं, तो इनसे निपटा जाना चाहिए।

सख्ती से। हालांकि, अगर गलत आदेश पारित किए जाते हैं, तो इससे अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जब तक कि इस बात का सबूत न हो कि गलत आदेश बाहरी कारणों से पारित किए गए हैं, न कि फाइल पर कारणों के कारण।

अपीलार्थी को पहले आरोप का दोषी ठहराने का मुख्य आधार यह है कि अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के उन आदेशों पर ध्यान नहीं दिया, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अभियुक्तों में से एक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

2001 [शिवनाथ राय बनाम। बिहार राज्य, आपराधिक विविध। 2001 का सं. 30563, दिनांकित आदेश 26-11-2001 (पैट)]। यह उल्लेख करना उचित होगा कि उच्च न्यायालय ने स्वयं कहा था कि

आरोप तय करना, यदि गैर-आधिकारिक गवाहों से पूछताछ नहीं की जाती है, तो जमानत के लिए अनुरोध को हटाया जा सकता है, लेकिन पहले निचली अदालत में जाने के बाद। अधिकारी इस मायने में लापरवाही का दोषी हो सकता है कि उसने मामले की फाइल को सावधानीपूर्वक नहीं देखा और उच्च न्यायालय के आदेश पर ध्यान नहीं दिया जो उसकी फाइल में था। इस लापरवाही को दुराचार नहीं माना जा सकता है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि जांच अधिकारी ने यह नहीं पाया है कि जमानत देने का कोई बाहरी कारण था। जाँच अधिकारी वस्तुतः जमानत देने के आदेश में खामियाँ उठाते हुए अपील की अदालत के रूप में बैठा।

.....

हालाँकि, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम किसी भी तरह से यह संकेत नहीं दे रहे हैं कि यदि कोई न्यायिक अधिकारी गलत आदेश देता है, तो कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। मामले में एक न्यायिक अधिकारी [2022] 16 एस. सी. आर.

ऐसे आदेश पारित करता है जो तय किए गए कानूनी मानदंडों के खिलाफ हैं लेकिन वहाँ

किसी भी बाहरी प्रभाव का कोई आरोप नहीं है जिसके कारण

ऐसे आदेशों को पारित करने के बाद उचित कार्रवाई जो

उच्च न्यायालय को इस तरह की सामग्री को दर्ज करना चाहिए प्रशासनिक पक्ष और इसे सेवा रिकॉर्ड पर रखें

संबंधित न्यायिक अधिकारी। इन मुद्दों पर लिया जा सकता है विचार

कैरियर की प्रगति पर विचार करते समय

संबंधित न्यायिक अधिकारी। एक बार गलत क्रम का नोट है

लिया गया और वे सेवा रिकॉर्ड का हिस्सा हैं ये हो सकते हैं चयन श्रेणी, पदोन्नति को अस्वीकार करने पर विचार किया जाता है,

आदि, और यदि गलत या अवैध का निरंतर प्रवाह होता है

दोहराएँ कि जब तक स्पष्ट आरोप नहीं हैं दुराचार, बाहरी प्रभाव, किसी भी प्रकार की संतुष्टि,

आदि, अनुशासनात्मक कार्यवाही केवल शुरू नहीं की जानी चाहिए।

इस आधार पर कि गलत आदेश पारित किया गया है

न्यायिक अधिकारी या केवल इस आधार पर कि न्यायिक आदेश

गलत है "।

(जोर दिया गया)

68. इसके अलावा, इस अदालत ने हाल ही में साधना मामले में फैसला सुनाया है

धारी (ऊपर) किः

" 20. हम इस तथ्य से भी अनजान नहीं हैं कि केवल संदेह

'दुराचार' का गठन नहीं कर सकते। की कोई भी 'संभावना'

इन मापदंडों पर, उच्च न्यायालय से विचार करने की अपेक्षा की जाती है विभिन्न मानकों और दृष्टिकोणों का अस्तित्व

अलग-अलग न्यायाधीश। न्यायपालिका के असंख्य उदाहरण हैं।

ऐसे अधिकारी जो जमानत देने, पुरस्कार देने में उदार हैं एम. ए. सी. टी. के तहत या अधिग्रहित भूमि, बैकवेज के लिए मुआवजा

के अन्य मामलों में श्रमिकों या अनिवार्य मुआवजे के लिए

कष्टप्रद देनदारियाँ। इस तरह के राहत-उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण

स्वयं पर आक्षेप लगाने का आधार नहीं हो सकता है एक अधिकारी की ईमानदारी और ईमानदारी।

21. इसके अलावा, हमारे अस्तित्व की वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

एक ऐसा देश जहाँ अनगिनत शिकायतकर्ता आसानी से भाई जैन बनाम हैं।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

न्यायपालिका की छवि को धूमिल करने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के उपलब्ध, अक्सर अधिक पैसे या यहां तक कि सस्ती क्षणिक लोकप्रियता के लिए। कभी-कभी बार के कुछ असंतुष्ट सदस्य भी उनके साथ हाथ मिलाते हैं, और अधीनस्थ न्यायपालिका के अधिकारी आमतौर पर सबसे आसान लक्ष्य होते हैं। इसलिए, यह उच्च न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे अपनी सुरक्षात्मक छत्रछाया का विस्तार करें और यह सुनिश्चित करें कि ईमानदार और सीधे-सादे न्यायिक अधिकारियों पर बेरोकटोक हमला न हो।

.....

24. हालाँकि, वर्तमान मामले के तथ्य अलग हैं। यह अदालत, वास्तव में, कथित रूप से गलत आदेशों में से एक के गुण-दोष में प्रवेश कर गई। न केवल फैसले की पुष्टि की गई, बल्कि मुआवजे को और बढ़ाया गया। इसलिए अब यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का आदेश गलत था।

निष्कर्ष। यह तथ्य महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्थापित करता है कि अपीलार्थी द्वारा मुआवजे में वृद्धि घृणित नहीं थी।

25. यदि आरोप विशिष्ट था कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बाहरी विचारों से प्रभावित थी, तो

अपीलार्थी के निष्कर्षों की शुद्धता शायद उतनी मायने नहीं रखती। हालांकि, ऊपर निकाले गए आरोपों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जांच का एकमात्र कारण, बेईमानी का अनुमान लगाने के साथ-साथ जुर्माना लगाना केवल मुआवजे में वृद्धि के निष्कर्ष के आधार पर था। यह देखते हुए कि कैसे उन दो आदेशों में से एक की चुनौती को उच्च न्यायालय के स्तर पर अस्वीकार कर दिया गया था, और दूसरे को इस अदालत द्वारा सैद्धांतिक रूप से पुष्टि और आगे बढ़ाया गया था, आरोपों का आधार अब जीवित नहीं है।

26. हम इस प्रस्ताव में कोई गलती नहीं पा सकते हैं कि निर्णय का अंतिम परिणाम मायने नहीं रखता है, और केवल क्या अपराधी अधिकारी ने अवैध संतुष्टि (मौद्रिक या अन्यथा) ली थी या बाहरी लोगों द्वारा बहकाया गया था

प्रक्रिया का संचालन करते समय विचार प्रासंगिक हैं। वास्तव में, कई बार यह संभव है कि एक न्यायिक अधिकारी [2022] 16 एस. सी. आर. कर सके।

उसी समय अपने कार्यालय के अनुचित आचरण में लिप्त हों

आदेश देने का समय, जिसका परिणाम कानूनी रूप से सही है। इस तरह

अशोभनीय आचरण या तो न्यायाधीश के रूप में हो सकता है

एक मामले को मोड़ से बाहर निकालना, सुनवाई में देरी करना स्थगन, पक्षों को उनका कानूनी बकाया देने के लिए रिश्वत की मांग

आदि। इनमें से किसी को भी परिणाम को प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान मामले में, एक आवश्यक आवश्यकता है

परिणाम को प्रभावित करना। हालांकि, महत्वपूर्ण रूप से वर्तमान में

अपीलार्थी की ओर से आचरण। इसके बजाय, बहुत आधार 'दुर्व्यवहार' का पता लगाना ही अंतिम परिणाम है, जो

उच्च न्यायालय के अनुसार इतना चौंकाने वाला था कि इसने एक

निष्कर्ष 28. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील की अनुमति दी जाती है।

उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और रिट

अपीलार्थी द्वारा दायर याचिका की अनुमति है। बर्खास्तगी का आदेश

उत्तरदाता 1 द्वारा पारित दिनांक 17-1-2006 को अलग रखा गया है,

परिणामी बहाली के लिए अपीलार्थी की प्रार्थनाएँ

सेवानिवृत्ति लाभ सहित लाभ स्वीकार किए जाते हैं। इस बारे में कोई आदेश नहीं लागतें।

(जोर दिया गया)

69. उपरोक्त न्यायिक घोषणाओं के आलोक में, हम मानते हैं कि

लांट इस अर्थ में लापरवाही का दोषी हो सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया था

उल्ली ने मामले की फाइल देखी और आदेश पर ध्यान नहीं दिया

उच्च न्यायालय जो उनकी फाइल में था। इस लापरवाही का इलाज नहीं किया जा सकता।

दुराचार। इसके अलावा, जांच अधिकारी वस्तुतः अदालत अभय जैन बनाम के रूप में बैठे।

राजस्थान और ए. एन. आर. के लिए न्याय का उच्च न्यायालय। [वाइन सारन, जे।]

जमानत देने के आदेश में चूक करने के लिए अपील करना, तब भी जब उसे जमानत आदेश देने के लिए कोई बाहरी कारण नहीं मिला। विशेष रूप से, वर्तमान मामले में, लगातार अवैध आदेशों की एक श्रृंखला नहीं थी जिन्हें कथित रूप से बाहरी विचारों के लिए पारित किया गया था। वर्तमान मामला केवल एक ही जमानत आदेश के इर्द-गिर्द घूमता है, और वह भी सक्षम अधिकार क्षेत्र के साथ पारित किया गया था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा साधना चौधरी (ऊपर) में उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है, केवल संदेह "कदाचार" नहीं हो सकता है। दुराचार की किसी भी 'संभावना' को मौखिक या दस्तावेजी सामग्री के साथ समर्थित करने की आवश्यकता है, और वर्तमान मामले में इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया है। ये टिप्पणियां इस विशिष्ट तथ्य के आलोक में महत्वपूर्ण मानती हैं कि वर्तमान अपीलार्थी के खिलाफ अवैध संतुष्टि का कोई आरोप नहीं था। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा उचित ही अभिनिर्धारित किया गया है,

इस तरह के राहत-उन्मुख न्यायिक दृष्टिकोण अपने आप में एक अधिकारी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर आक्षेप लगाने का आधार नहीं हो सकते हैं।

उक्त मामले को तथ्यों के आधार पर अलग किया जा सकता है क्योंकि उक्त मामले में औपचारिक जांच शुरू करने से पहले जांच केवल एक प्रारंभिक जांच थी और इसके अलावा, प्रबंधन के बारे में कई पत्र थे। असंतोषजनक प्रदर्शन, जिसके बारे में अपराधी अधिकारी को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

71. निष्कर्ष निकालने के लिए, हमारा दृढ़ विचार है कि वर्तमान मामले में असंतोषजनक प्रदर्शन को प्रदर्शित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी

आर. जे. एस. नियम, 2010 के नियम 45 और 46 के तहत आवश्यकता के संदर्भ में अपीलार्थी। इसके अलावा, अपीलार्थी का आरोपमुक्त होना सरल नहीं था, जैसा कि प्रत्यर्थी ने दावा किया था। अपीलार्थी को ए. सी. आर. का गैर-संचार मनमाना साबित हुआ है और चूंकि प्रत्यर्थी अपीलार्थी के कथित कदाचार की जांच करने का विकल्प चुनता है, इसलिए उसे समाप्त कर दिया जाता है।

सेवा दंड के रूप में होती है क्योंकि यह उस पर कलंक लगाता है क्षमता और इस प्रकार उसके भविष्य के करियर को प्रभावित करता है। ऐसे मामले में, अपीलार्थी [2022] 16 एस. सी. आर. के अनुच्छेद 311 (2) के संरक्षण का हकदार होगा।

संविधान। इसके अलावा, वर्ष 2015 के लिए ए. सी. आर. में प्रतिकूल टिप्पणियां वह आधार नहीं हो सकती थीं जिसके आधार पर अपीलार्थी को सेवा से मुक्त किया गया था। अपीलार्थी को कभी भी सुधार करने का अवसर नहीं दिया गया और उसके प्रदर्शन के बारे में उसे कोई सूचना नहीं दी गई।

प्रत्यर्थी अपीलार्थी की ओर से किसी भी बाहरी विचार या गुप्त उद्देश्य की उपस्थिति को साबित करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसे होना चाहिए। यहां इस बात पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए कि न तो आई. डी. 1 दिनांकित जमानत आदेश को राज्य द्वारा कभी किसी न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी और न ही उक्त जमानत आदेश के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। यह ऐसा मामला नहीं है जहां संदेह करने के लिए मजबूत आधार हैं

अपीलार्थी की ईमानदारी। भले ही अपीलार्थी के कार्य को लापरवाही माना जाए, लेकिन इसे "दुराचार" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

दिनांकित 27.01.2016 रद्द कर दिया गया है। यह ध्यान में रखते हुए कि अपीलार्थी ने आरोपमुक्त होने के बाद न्यायिक अधिकारी के रूप में काम नहीं किया है, हम निर्देश देते हैं कि अपीलार्थी को सभी परिणामी लाभों के साथ बहाल किया जाए, जिनमें शामिल हैं - सेवा और वरिष्ठता की निरंतरता, लेकिन केवल 50 प्रतिशत बैकवेज का भुगतान करने का हकदार होगा, जिसका भुगतान आज से चार महीने की अवधि के भीतर किया जा सकता है।

अपील की अनुमति दी गई।

बिभूति भूषण बोस (शुभांशु दास, एलसीआरए द्वारा सहायता प्राप्त)